

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-252
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

वितरण कंपनी के स्तर पर लोड शेडिंग और एटी एंड सी हानि की निगरानी

*252. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक निगरानी प्रणालियाँ राज्य स्तरीय प्रदर्शन आंकड़ों के अलावा विद्युत वितरण कंपनीवार (डिस्कॉमवाइज) वास्तविक की तुलना में निर्धारित लोड वितरण, मौसम के अनुसार बिजली की कटौती (लोड शेडिंग) की घटनाओं और फीडर या वार्ड स्तरों पर खण्ड आधार पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि विश्लेषण को दर्ज करती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण वितरण खंड सहित उत्तर प्रदेश राज्य का तुलनात्मक आंतरिक प्रदर्शन सारांश क्या है; और

(ग) क्या औरैया जिले से संबंधित लोड विश्वसनीयता संबंधी रिकॉर्ड, फीडर-वार हानि सूचकांक और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु समय-सीमा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने वाले आंतरिक डैशबोर्ड में रखा जाता है और बिजली वितरण की दक्षता में सुधार करने के लिए ऐसे आंकड़ों का उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वितरण कंपनी के स्तर पर लोड शेडिंग और एटी एंड सी हानि की निगरानी के संबंध में श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 252 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है जो अपने संबंधित विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।

एक वितरण यूटिलिटी के लिए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि का प्रकाशन प्रतिवर्ष पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा यूटिलिटी स्तर पर किया जाता है और यह उसके प्रस्तुत वार्षिक लेखों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, ग्रिड इंडिया द्वारा वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति से संबंधित राज्य स्तरीय विवरण जैसे ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा की पूर्ति भी प्रकाशित की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में एटी एंड सी हानि 19.54% है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान ऊर्जा आपूर्ति (1,41,449 मिलियन यूनिट) और ऊर्जा आवश्यकता (1,41,475 मिलियन यूनिट) के बीच का अंतर लगभग "शून्य" हो गया है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिदिन औसत आपूर्ति घंटों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

निर्धारित भार आपूर्ति, मौसमी लोड शेडिंग की घटनाओं तथा फीडर या वार्ड स्तर पर विस्तृत एटी एंड सी हानि से संबंधित डेटा का रखरखाव और निगरानी संबंधित वितरण यूटिलिटी द्वारा की जाती है।

(ग) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 वितरण यूटिलिटी में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) प्रदान करते हैं। यदि कोई उपभोक्ता यूटिलिटी द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट है, तो वे समाधान के लिए सीजीआरएफ और आगे ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, ईआरसी को उन यूटिलिटी के लिए प्रदर्शन के मानकों को अधिसूचित करना होगा जिसमें विद्युत से संबंधित विभिन्न शिकायतों के समाधान की समय अवधि शामिल होगी।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, औरैया जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति (दिनांक 01.04.2025 से 12.03.2026 के दौरान) के औसत दैनिक घंटे क्रमशः 21:44 घंटे और 23:17 घंटे हैं।

उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक आपूर्ति घंटे

माह	ग्रामीण		शहरी			आपातकालीन विद्युत कटौती
	बुंदेलखंड को छोड़कर (निर्धारित 18 घंटे)	बुंदेलखंड (निर्धारित 20 घंटे)	नगर पंचायत (निर्धारित 21:30 बजे)	तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 बजे)	जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24 घंटे)	
अप्रैल 2025	18:28	20:05	21:31	21:36	24:00	-
मई 2025	18:36	20:12	21:35	21:37	24:00	-
जून 2025	18:34	20:13	21:36	21:40	24:00	-
जुलाई 2025	18:19	20:05	21:30	21:30	24:00	-
अगस्त 2025	19:04	20:39	21:55	21:53	24:00	-
सितंबर 2025	18:37	20:19	21:44	21:41	24:00	-
अक्टूबर 2025	22:19	22:50	23:15	23:19	24:00	-
नवंबर 2025	18:41	20:19	21:37	21:36	24:00	-
दिसंबर 2025	18:21	20:03	21:31	21:31	24:00	-
जनवरी 2026	18:47	20:16	21:39	21:39	24:00	-
फरवरी 2026	18:52	20:24	21:44	21:46	24:00	-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2700
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

झारखंड सहित देश में विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उपभोक्ता अधिकार

2700. श्री दीपक प्रकाश:

श्रीमती किरण चौधरी:

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री मिथलेश कुमार:

श्री नारायण कोरागप्पा:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री सुभाष बराला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी 17 महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र की वस्तुएँ पहचानी गई हैं;

(ख) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों ने महानगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की समय-सीमा पर किस प्रकार प्रभाव डाला है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र की सभी 215 पहचानी गई वस्तुओं के लिए सार्वजनिक खरीद में अनिवार्य 50% घरेलू सामग्री की आवश्यकता सफलतापूर्वक अधिसूचित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत क्षेत्र की ऐसी 16 महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान की है, जिनका वर्तमान में आयात किया जा रहा है। इन वस्तुओं को आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इन 16 महत्वपूर्ण वस्तुओं का विवरण अनुबंध-1 पर है।

(ख) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण यूटिलिटी राज्य आयोग द्वारा निर्धारित आपूर्ति संहिता, प्रदर्शन मानक और विनियमों के अनुसार कार्य करती है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2024 के अनुसार, आवेदन को सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्य आयोग अधिकतम समय अवधि निर्दिष्ट करेगा, जो महानगरीय क्षेत्रों में तीन (03) दिनों, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में सात (07) दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंद्रह (15) दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर वितरण लाइसेंसधारी नया कनेक्शन प्रदान करेगा या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन करेगा। बशर्ते कि पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विधिवत पूर्ण आवेदन जमा करने के बाद नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन की अधिकतम समय अवधि तीस (30) दिनों से अधिक नहीं होगी। बशर्ते यह भी कि जहां ऐसी आपूर्ति के लिए वितरण मेन के विस्तार या नए उपकेंद्रों की कमीशनिंग की आवश्यकता होगी, वहां वितरण लाइसेंसधारी ऐसे परिसर में ऐसे विस्तार या कमीशनिंग के तुरंत बाद नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा।

इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'पहाड़ी भूभाग वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों' से अभिप्राय अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हैं।

इन प्रावधानों ने समयबद्धता में सुधार किया है और विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ किया है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2021 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के माध्यम से कम-से-कम 50% न्यूनतम स्थानीय सामग्री (एमएलसी) की आवश्यकता के साथ विद्युत क्षेत्र की 215 वस्तुओं को अधिसूचित किया है। इन 215 अधिसूचित वस्तुओं का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित विद्युत क्षेत्र की 16 महत्वपूर्ण वस्तुओं का विवरण:

क्रम सं.	महत्वपूर्ण वस्तु का नाम	एचएसएन कोड
1	समुद्रतलीय केबल (एचवीडीसी और एचवीएसी)	8544
2	एकचुएटर हेतु स्थायी चुम्बक (एनडीएफईबी)	85059000, 85051190
3	अत्यधिक उच्च परिशुद्धता वाले ऑक्सीजन-मुक्त उच्च चालकता तांबा रॉड, समतलता पीपीएम स्तर <5, विभिन्न व्यास (व्यास 25 से 45 एमएम)	74071010
4	नॉन-स्कन पास्ट, नॉन-ऑयलड, नॉन-क्रोमेटेड ग्रेड की एल्यूमीनियम-जिंक कोटेड स्टील शीट, 2 मिमी मोटाई	72106100
5	आईजीबीटी / थाइरिस्टर्स, कैपेसिटर बैंक और कूलिंग सिस्टम सहित एचवीडीसी वाल्व असेंबली	8481
6	पोर्सिलेन हॉलो इंसुलेटर – 33 केवी से 800 केवी तक की पूरी रेंज	85462090
7	कम्पोजिट/पॉलिमर हॉलो कोर इंसुलेटर – 33 केवी से 420 केवी तक की पूरी रेंज	85469090
8	माइक्रो टाइप ईथरनेट स्विच (स्वचालित डेटा प्रसंस्करण / संचार स्विच) आईईसी संचार प्रोटोकॉल ईएक्स आईईसी 61850 के लिए उपयुक्त, पीएलसी नियंत्रक (एफआरटीयू) डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के साथ	85176290
9	लाइटनिंग अरेस्टर	85354010
10	ठोस इंसुलेटेड/स्क्रीनयुक्त टच-प्रूफ बस बार, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ और इंसुलेशन गुणों वाले एडाप्टर	85366990
11	इंसुलेटिंग स्पेसर / गैस विभाजन इंसुलेशन चैंबर / इंसुलेशन रॉड	संभवतः 8546 या 8547 (किसी भी सामग्री के विद्युत इंसुलेटर) के तहत
12	गैस-एयर बुशिंग (>245 केवी) के लिए खोखले कोर इंसुलेटर	85469090
13	वोल्टेज ट्रांसफार्मर	850421, 850422, 850423, 850431, 850432, 850433, 850434
14	गैस इंसुलेटेड बस डक्ट्स और बस बार के लिए पाइप (आईडी >400 मिमी) (स्पाइरल वेल्डेड एल्यूमीनियम पाइप)	7608
15	एपॉक्सी कच्चा माल (रेज़िन, हार्डनर), तरल सिलिकॉन रबर तथा उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति और इंसुलेशन गुणों वाली बस बार इंसुलेशन श्रिंक ट्यूबिंग	390730, 3910
16	लघु गियर ट्रेन के साथ मोटर और वीसीबी तंत्र असेंबली	8501, 853521

विद्युत क्षेत्र की 215 चिन्हित वस्तुओं का विवरण:

वस्तु क्रम सं.	क्रम सं.	पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा के साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों के लिए विद्युत उपकरण	श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता (न्यूनतम स्थानीय सामग्री (%))
(क) पारेषण, वितरण और उत्पादन क्षेत्र के लिए सामान्य वस्तुएं			
1	1	पावर ट्रांसफार्मर (765 केवी तक, जिसमें उत्पादन ट्रांसफार्मर भी शामिल हैं)	60
2	2	इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर (765 केवी तक)	60
3	3	ट्रांसफार्मर ऑयल ड्राई आउट सिस्टम (टीओडीओएस)	60
4	4	765 केवी तक रिएक्टर	60
5	5	तेल से भीगा बुशिंग (400 केवी तक)	60
6	6	रेजिन इंसुलेटेड पेपर (आरआईपी) बुशिंग (145 केवी तक)	50
7	7	सर्किट ब्रेकर (765 केवी एसी तक - वैकल्पिक धारा)	60
8	8	डिस्कनेक्टर / आइसोलेटर (765 केवी एसी तक)	60
9	9	वेव ट्रेप (765 केवी एसी तक)	60
10	10	33 केवी सहित और तेल भरे वितरण ट्रांसफार्मर [कोल्ड रोलड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ)/एमोर्फस, एल्यूमीनियम / कॉपर वांड]]	60
11	11	33 kV तक एवं सहित ड्राई टाइप वितरण ट्रांसफार्मर (सीआरजीओ/अमॉर्फस, एल्यूमिनियम/कॉपर वांड)	60
12	12	पारंपरिक कंडक्टर	60
13	13	पारंपरिक कंडक्टरों के लिए एक्सेसरीज	60
14	14	उच्च तापमान / उच्च तापमान लो सैंग (एचटीएलएस) कंडक्टर (जैसे कंपोजिट कोर, जीएपी, एसीएसएस, आईएनवीएआर, एएल59) और एक्सेसरीज	60
15	15	ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) - सभी डिज़ाइन	60
16	16	ओपीजीडब्ल्यू के लिए फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल उपकरण (एफओटीई)	50
17	17	ओपीजीडब्ल्यू से संबंधित हार्डवेयर और एक्सेसरीज	60
18	18	रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू)	50
19	19	33 केवी तक पावर केबल और एक्सेसरीज	60
20	20	एक्सेसरीज सहित नियंत्रण केबल	60
21	21	220 केवी तक के एक्सएलपीई केबल	60
22	21.क	एक्सएलपीई केबल (220 केवी से ऊपर और 400 केवी तक)	50
23	22	सबस्टेशन संरचनाएं	60
24	23	पारेषण लाइन टॉवर्स	60
25	24	पोर्सिलेन (डिस्क/लंबी रॉड) इंसुलेटर	60
26	25	बस पोस्ट इंसुलेटर (पोर्सिलेन)	60
27	26	कमरे के तापमान पर वल्कनीकरण (आरटीवी) कोटिंग वाले पोर्सिलेन डिस्क इंसुलेटर	50
28	27	कमरे के तापमान पर वल्कनीकरण (आरटीवी) कोटिंग वाले पोर्सिलेन लॉन्ग रॉड इंसुलेटर	50
29	28	पोर्सिलेन इंसुलेटरों के लिए हार्डवेयर फिटिंग	60
30	29	कम्पोजिट/पॉलिमरिक लॉन्ग रॉड इंसुलेटर	60
31	30	पॉलिमर इंसुलेटरों के लिए हार्डवेयर फिटिंग्स	60
32	31	बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर (बीएफडी)	60
33	32	पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन (पीएलसीसी) सिस्टम (800 केवी तक)	60
34	33	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (400 केवी एसी तक)	60
35	34	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (400 केवी एसी से ऊपर)	50
36	35	सर्ज/लाइटनिंग अरेस्टर (765 केवी एसी तक)	60
37	36	पावर कैपेसिटर	60
38	37	पैकेज्ड सब-स्टेशन (6.6 केवी से 33 केवी)	60
39	38	रिंग मेन यूनिट (आरएमयू) (33 केवी तक)	60
40	39	मध्यम वोल्टेज (एमवी) जीआईएस पैनल (33 केवी तक)	60
41	40	विद्युत प्रणाली में स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली / पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा	50

		अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली	
42	41	कंट्रोल और रिसे पैनल (डिजिटल/न्यूमेरिकल रिसे सहित)	50
43	42	इलेक्ट्रिकल मोटर्स 0.37 केडबल्यू से 1 एमडबल्यू	60
44	43	स्मार्ट मीटर सहित ऊर्जा मीटर	50
45	43.क	हेड एंड सिस्टम (एचईएस)	100
46	43.ख	मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस)	100
47	44	कंट्रोल और पावर केबल तथा एक्सेसरीज़ (1.1 केवी तक)	60
48	45	डीजल जनरेटिंग (डीजी) सेट	60
49	46	डीसी सिस्टम (डीसी बैटरी और बैटरी चार्जर)	60
50	47	एसी और डीसी वितरण बोर्ड	60
51	48	33 केवी तक का इनडोर एयर इंसुलेटेड स्विचगियर (एआईएस)	60
52	49	पोल (पीसीसी, पीएससीसी, रोलड स्टील जॉइस्ट, रेल पोल, स्पन, स्टील ट्यूबलर)	60
53	50	ग्राउंडिंग/अर्थिंग प्रणाली के लिए सामग्री	60
54	51	प्रकाश व्यवस्था	60
55	52	ओवरहेड फॉल्ट सेंसिंग इंडिकेटर (एफएसआई)	50
56	53	पावर क्वालिटी मीटर	50
57	54	सहायक रिसे	50
58	55	लोड ब्रेक स्विच	50
		(ख) हाइड्रो क्षेत्र	
	56	हाइड्रो टर्बाइन और संबंधित उपकरण	
59		क) फ्रांसिस टर्बाइन	60
60		ख) काप्लान टर्बाइन	60
61		ग) पेल्टन टर्बाइन	50
62	57	मुख्य इनलेट वाल्व और संबंधित उपकरण	60
63	58	पेनस्टॉक सुरक्षा वाल्व और संबंधित उपकरण	60
64	59	नियंत्रण प्रणाली और एक्सेसरीज़	60
65	60	जलविद्युत परियोजना के लिए जनरेटर और संबंधित उपकरण	60
66	61	स्टैटिक एक्साइटेशन प्रणाली	60
67	62	वर्कशॉप के उपकरण	60
68	63	कूलिंग वाटर प्रणाली	60
69	64	कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	60
70	65	जल-निकासी/जल-निष्कासन प्रणाली	60
71	66	अग्नि सुरक्षा प्रणाली	60
72	67	हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम (एचवीएस)	60
73	68	तेल हैंडलिंग प्रणाली	60
74	69	संयंत्र (बीओपी) मर्दों का यांत्रिक संतुलन	60
		(ग) ताप क्षेत्र	
		बॉयलर सहायक उपकरण	
75	70	वायु प्री-हीटर	60
76	71	स्टीम कॉइल एयर प्री-हीटर (एससीएपीएच)	60
77	72	स्टीम सूट ब्लोअर [वॉल ब्लोअर और लॉन्ग रिट्रैक्टबल सूट ब्लोअर (एलआरएसबी)]	60
78	73	अतिरिक्त भाप दबाव कम करना और डीसुपरहीटिंग (पीआरडीएस)	60
79	74	ईंधन तेल प्रणाली	60
80	75	सील एयर फैन	60
81	76	डक्ट और डैम्पर	60
82	77	डक्ट विस्तार जोड़	60
83	78	ब्लोडाउन टैंक	60
84	79	कोयला बर्नर और तेल बर्नर	60
85	80	कोयला मिलें	60
86	81	कोयला मिल का गियर बॉक्स	50
87	82	कोयला फीडर	60
88	83	प्राइमरी एयर फैन	60

89	84	फोर्ड ड्राफ्ट फैन	60
90	85	इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन	60
91	86	फोर्ड ड्राफ्ट (एफडी) / इंड्यूस्ड ड्राफ्ट (आईडी) / प्राइमरी एयर (पीए) फैन सर्वो मोटर असेंबली	50
92	87	ट्यूब (कार्बन स्टील)	50
93	88	भाप के पाइप (कार्बन स्टील)	50
94	89	भाप ड्रम	50
95	90	सेपरेटर	50
96	91	घयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर)	50
		इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)	
97	92	केसिंग	60
98	93	इलेक्ट्रोड	60
99	94	रैपिंग सिस्टम	60
100	95	हॉपर हीटर	60
101	96	ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर	60
102	97	इंसुलेटर	60
		टर्बाइन और सहायक उपकरण	
103	98	टर्बाइन (उच्च दाब / मध्यवर्ती दाब / निम्न दाब)	50
104	99	कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप	60
105	100	कंडेंसर ऑन-लाइन ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम (सीओएलटीसी)	60
106	101	डेब्रिस फिल्टर	60
107	102	डी-एरेटर	60
108	103	ड्रेन कूलर और फ्लैश टैंक	60
109	104	ईसीडबल्यू पंप	50
110	105	प्लेट हीट एक्सचेंजर	50
111	106	सेल्फ-क्लीनिंग फिल्टर	50
112	107	कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)	60
113	108	केमिकल डोजिंग सिस्टम	60
114	109	ऑयल फिल्टर	60
115	110	ग्लैंड स्टीम कंडेंसर	60
116	111	ऑयल प्यूरिफाइंग सेंट्रीफ्यूज	50
117	112	वॉटर कूलड कंडेंसर	50
118	113	बॉयलर फीड पंप (बीएफपी)	50
		जनरेटर और सहायक उपकरण	
119	114	जनरेटर (जिसमें सील ऑयल सिस्टम, हाइड्रोजन क्लिंग सिस्टम, स्टेटर जल शीतलन प्रणाली शामिल हैं)	60
		इलेक्ट्रिक कार्य	
120	115	नियंत्रण और मापन उपकरण	60
		नियंत्रण एवं इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणाली (सी&आई प्रणाली)	
121	116	थर्मोकपल्स	50
122	117	मापने के उपकरण [प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर (आरटीडी)], स्थानीय गेज	50
123	118	एकचुएटर्स (वायवीय और पारंपरिक इलेक्ट्रिक)	50
124	119	आईपी आधारित को छोड़कर इंटरप्लांट कम्युनिकेशन/पब्लिक एड्रेस (पीए) सिस्टम,	50
		कोयला हैंडलिंग संयंत्र	
125	120	कन्वेयर	60
126	121	वैगन टिपलर	60
127	122	साइड आर्म चार्जर	60
128	123	पैडल फीडर	60
129	124	क्रशर और स्क्रीन	60
130	125	धूल नियंत्रण (सूखी धुंध और सादा पानी) प्रणाली	60
131	126	एयर कंप्रेसर	50
132	127	मेग्नेट सेपरेटर और मेटल डिटेक्टर	60
133	128	कोयला सेंपलिंग प्रणाली	60

134	129	स्टैकर-कम-रिक्लेमर	60
135	130	बेल्ट तौल और निगरानी प्रणाली	60
136	131	बॉटम ओपनिंग बॉटम रिलीज़ (बीओबीआर) वैगन के लिए व्हील और एक्सल असेंबली (बेयरिंग के बिना)	60
		ऐश हैंडलिंग प्रणाली	
137	132	क्लिकर ग्राइंडर	60
138	133	वाटर जेट इजेक्टर	60
139	134	स्क्रेपर चेन कन्वेयर	60
140	135	ड्राइ फ्लाई ऐश वैक्यूम निष्कर्षण प्रणाली	60
141	136	प्रेशर न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम	60
142	137	ऐश पानी और ऐश स्लरी पंप	60
143	138	कंप्रेसर, एयर ड्रायर और एयर रिसीवर	50
144	139	ऐश वॉटर रिकवरी प्रणाली	60
		कच्चे जल का अंतर्ग्रहण एवं आपूर्ति प्रणाली	
145	140	ट्रेवलिंग वाटर स्क्रीन	60
146	141	कच्चे पानी की आपूर्ति के पंप	60
147	142	वाल्व, आरई जोड़ आदि	60
		जल उपचार प्रणाली और अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली	
148	143	क्लैरीफिकेशन प्लांट	60
149	144	फिल्टरेशन प्लांट	60
150	145	अल्ट्रा फिल्टरेशन प्लांट	50
151	146	रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट और इसके मेमब्रेन	55
152	147	विखनिजीकृत पानी संयंत्र (डीएम प्लांट)	60
153	148	क्लोरीनीकरण संयंत्र	60
154	149	रासायनिक डोसिंग प्रणाली	60
155	150	अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र	60
		परिसंचारी जल (सीडबल्यू) और सहायक परिसंचारी जल (एसीडबल्यू) प्रणाली	
156	151	सीडबल्यू एवं एसीडबल्यू पंप	60
157	152	बटरफ्लाई (बीएफ) वाल्व, नॉन-रिटर्न वाल्व (एनआर वीएस) आदि।	60
158	153	रबर विस्तार (आरई) जोड़	60
159	154	एयर रिलीज वाल्व	60
		कूलिंग टावर (एनडीसीटी / आईडीसीटी) - प्राकृतिक-ड्राफ्ट और प्रेरित ड्राफ्ट कूलिंग टावर	
160	155	जल वितरण प्रणाली	60
161	156	स्प्रे नोजल	60
162	157	पैकिंग	60
163	158	ड्रिफ्ट एलिमिनेटर	60
164	159	कूलिंग टावर (सीटी) फैन (प्रेरित ड्राफ्ट कूलिंग टावरों आईडीसीटी के लिए)	60
165	160	गियर बॉक्स, शाफ्ट और मोटर (आईडीसीटी के लिए)	60
		एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम	
166	161	विभाजित और विंडो एयर कंडीशनर	60
167	162	चिलिंग / कंडेंसिंग यूनिट [500 टन तक रेफ्रिजरेशन (टीआर)]	55
168	163	एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) और फ्रेश एयर यूनिट	60
169	164	कूलिंग टावर	60
170	165	एयर वाशिंग यूनिट (एडब्ल्यूयू), एक्सियल फैन, रूफ एक्सट्रैक्टर	60
171	166	डक्ट्स, लूवर्स और डैम्पर्स	60
		फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी)	
172	167	स्प्रे नोजल,	50
173	168	स्प्रे हेडर	50
174	169	ऑक्सीकरण ब्लोअर	50
175	170	चूना पत्थर वेट बॉल मिल	50
176	171	एफजीडी प्रणाली के लिए स्लरी हैंडलिंग पंप	50
177	172	एफजीडी प्रणाली के लिए बूस्टर फैन	50

178	173	एफजीडी के लिए कार्बन स्टील डक्ट्स और डैम्पर्स	60
179	174	भंडारण टैंक और साइलो	60
180	175	एफजीडी प्रणाली के लिए प्रक्रिया जल पंप	50
(घ) अन्य सामान्य वस्तुएं			
अग्नि सुरक्षा और पहचान प्रणाली			
181	176	मोटर चालित अग्निशमन जल पंप	60
182	177	डीजल इंजन चालित अग्निशमन जल पंप	60
183	178	पावर प्लांट के लिए हाइड्रेंट सिस्टम।	60
184	179	उच्च वेग जल स्प्रे प्रणाली	60
185	180	मध्यम वेग जल स्प्रे प्रणाली	60
186	181	फोम सुरक्षा प्रणाली	60
187	182	निष्क्रिय गैस बाढ़ प्रणाली	60
188	183	फायर टैंडर	60
189	184	पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र	60
190	185	क्रेन, ईओटी क्रेन, गैन्ट्री क्रेन और चैन पुली ब्लॉक आदि।	60
191	186	एलिवेटर	60
(ङ) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) / टर्नकी परियोजना में न्यूनतम स्थानीय सामग्री प्रतिशत			
यदि अनुबंध ईपीसी मार्ग के माध्यम से अवार्ड किया जाता है, तो ठेकेदार को अनुबंध-1 में सूचीबद्ध व्यक्तिगत मर्दों के लिए एमएलसी की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए और इन मर्दों को केवल श्रेणी-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता से ही खरीदना चाहिए। इसके अलावा, संपूर्ण ईपीसी परियोजना के लिए एमएलसी भी निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है:			
		(1) पैकेज आधारित कार्य	न्यूनतम स्थानीय सामग्री (%)
192	1	बॉयलर	60
193	2	टीजी सिस्टम (वाटर कूल्ड कंडेनसर)	60
194	3	ऐश हैंडलिंग प्लांट	60
195	4	कोयला हैंडलिंग प्लांट	60
196	5	इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)	60
197	6	परिसंचारी जल (सीडब्ल्यू) प्रणाली	60
198	7	क्लिंग टॉवर	60
199	8	जल उपचार प्रणाली	60
200	9	एयर कंडीशनिंग सिस्टम (500 टीआर से कम)	60
201	10	फ्लू गैस डीसपफयूरिजेशन (एफजीडी) सिस्टम	60
202	11	स्टेशन नियंत्रण और उपकरण (सी एंड आई)	50
203	12	जल विद्युत परियोजनाएं (विद्युत-यांत्रिक कार्य)	60
गैस आधारित उत्पादन			
समग्र गैस टर्बाइन पैकेज (तैयार उत्पाद के आधार पर)			
204	13	< 44 एमडब्ल्यू	60
205	14	44 -145 एमडब्ल्यू	50
समग्र संयुक्त चक्र गैस टर्बाइन (सीसीजीटी) पैकेज (तैयार उत्पाद के आधार पर)			
206	15	< 44 एमडब्ल्यू	60
207	16	44 - 145 एमडब्ल्यू	60
208	17	> 150 एमडब्ल्यू	60
(2) कुल परियोजना			
209	1	विद्युत क्षेत्र में कार्य और सेवा अनुबंध	60
210	2	पारंपरिक कंडक्टरों के साथ पारेषण लाइन (एसीएसआर, एएसी, एएल-59 आदि)	60
211	3	उच्च तापमान कम सैंग के साथ पारेषण लाइन (एचटीएलएस) कंडक्टर	60
212	4	एचवीएसी सबस्टेशन एयर इंसुलेटेड (एआईएस)	60
213	5	एचवीएसी सबस्टेशन गैस इंसुलेटेड (जीआईएस)	60
214	6	एचवीडीसी सब-स्टेशन	60
215	7	वितरण क्षेत्र	60

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2701
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की प्रगति

2701. श्रीमती माया नारोलिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का महत्व क्या है और यूनिट-2 के वाणिज्यिक संचालन का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रिड स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) शेष इकाईयों के शुरू होने की समय-सीमा क्या है और परियोजना पूर्ण होने पर कुल स्थापित क्षमता कितनी होने का अनुमान है;

(ग) परियोजना की शुरुआत और संचालन के दौरान पर्यावरणीय संधारणीयता, नदी बेसिन प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस परियोजना के माध्यम से सुबनसिरी नदी बेसिन के स्थानीय समुदायों और हितधारकों को रोजगार सृजन, स्थानीय विकास और बेहतर बिजली पहुंच से लाभान्वित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर स्थित सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी), जिसकी कुल संस्थापित क्षमता 2000 मेगावाट (आठ यूनिट प्रत्येक 250 मेगावाट) है, का कार्यान्वयन एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आठ यूनिट में से दो यूनिट चालू हो चुकी हैं और इस परियोजना के लाभार्थियों को उत्पादित विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। शेष यूनिट को दिसंबर'26 तक चरणबद्ध तरीके से चालू करने की योजना है। परियोजना के पूर्ण होने पर, इसके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 7,422 मिलियन यूनिट (एमयू) विद्युत का उत्पादन होने की अपेक्षा है, जिससे देश की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। परियोजना से ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ सौर एवं पवन जैसे अनिरंतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संतुलन के माध्यम से ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय ग्रिड को अधिकतम विद्युत समर्थन प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) : सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरण एवं वन से संबंधित वैधानिक मंजूरियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। इसके अलावा, परियोजना के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में नदी तट संरक्षण तथा कटाव नियंत्रण उपाय एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के मार्गदर्शन और सिफारिशों के अंतर्गत बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार बांध सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(घ) : एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा परियोजना के स्थानीय समुदायों और हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। निर्माण चरण के दौरान, लगभग 7,000 स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल भी कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, एनएचपीसी ने विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों को लागू किया है जिससे लगभग 5,000 महिलाओं को लाभ हुआ है। इस परियोजना ने सड़कों एवं पुलों सहित स्थानीय अवसंरचना के विकास में भी योगदान दिया है, जिससे आस-पास के गांवों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2702
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की स्थिति

2702. सुश्री स्वाति मालिवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनकी वर्ष-वार संस्थापित, संचालित और निष्क्रिय क्षमता कितनी है;

(ख) सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) वाले कितने संयंत्र संस्थापित, संचालित और रिपोर्टिंग की स्थिति में हैं तथा लंबित संस्थापनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) निर्धारित उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के कितने मामले संज्ञान में आए हैं तथा उन पर अधिरोपित की गई शास्तियां, वसूली गई अथवा लंबित शास्तियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल रेट्रोफिट सहित आधुनिकीकरण और दक्षता उन्नयन की स्थिति क्या है; और

(ङ) उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको), राज्य जेनको तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईआईपी) के कुल 201 कोयला एवं लिग्नाइट आधारित तापविद्युत संयंत्र प्रचालनरत हैं, इनकी कुल संस्थापित क्षमता लगभग 227.83 गीगावाट है। पिछले 5 वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2024-25) तथा वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के राज्य-वार एवं स्टेशन-वार उत्पादन आंकड़ों का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख), (ग) और (ङ) : (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को निर्देश दिया गया है कि वे 17 श्रेणियों के उद्योगों (जिनमें तापविद्युत संयंत्र (टीपीपी) भी शामिल हैं) में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना सुनिश्चित करें, और दिनांक 28.02.2017 के बाद स्थापित उद्योगों के लिए संचालन स्वीकृति आदेश (सीटीओ) में ओसीईएमएस संबंधी विशेष शर्त शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

(ii) ओसीईएमएस का डेटा उद्योगों द्वारा स्वयं निगरानी के लिए प्राथमिक होता है, जिसे टीपीपी सहित उद्योगों द्वारा सीबीसीबी एवं संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सर्वरों के साथ साझा किया जाता है। विद्युत संयंत्र श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सर्वर से जुड़े उद्योगों दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार की सूची **अनुबंध-II** पर है।

(iii) ताप विद्युत संयंत्रों में पर्यावरणीय अनुपालन को मुख्यतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा सहमति तंत्र के माध्यम से लागू कराया जाता है। सीपीसीबी द्वारा किए गए उत्सर्जन निगरानी के आधार पर, सीपीसीबी ने निर्धारित उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के कारण 03 ताप विद्युत संयंत्र [मेसर्स भावनगर लिग्नाइट टीपीएस, जीएसईसीएल, गुजरात की यूनिट 2, श्री दामोदरम संजीवैया ताप विद्युत स्टेशन की यूनिट 1, 2 और 3 (चरण 1 और 2) और मेसर्स रायचूर ताप विद्युत स्टेशन, केपीसीएल, कर्नाटक की यूनिट 4 से 8] को कारण बताओ नोटिस सह निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 की धारा 5 के तहत 01 ताप विद्युत संयंत्र [मेसर्स महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको), परली ताप विद्युत स्टेशन की यूनिट 6 और 8] को निर्देश जारी किया गया है।

(iv) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित एसपीसीबी द्वारा तापविद्युत संयंत्रों का विनियमन एवं निगरानी की जाती है।

(v) निर्धारित समय-सीमा के बाद भी अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, अनुपालन नहीं करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

निर्धारित समय-सीमा के बाद भी गैर-अनुपालन संचालन	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (उत्पादित विद्युत प्रति यूनिट रुपये)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन से अधिक	0.40

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिसंबर, 2022 तक 20 वर्ष से अधिक अवधि वाली कुल 63,440 मेगावाट क्षमता की 223 यूनिटों को नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/अवधि विस्तार (आरएंडएम/एलई) कार्य हेतु संभावित कंडीट के रूप में चिह्नित किया है। ऊर्जा मांग और आपूर्ति के बीच किसी बड़े अंतर से बचने के लिए इन यूनिटों में आरएंडएम/एलई कार्यों को नौ चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

223 यूनिटों का चरणबद्ध कार्यक्रम तथा आरएंडएम/एलई गतिविधि के कार्यान्वयन हेतु संभावित समय-सीमा निम्नानुसार है:

चरण	समय-सीमा	केंद्रीय क्षेत्र यूनिट	केंद्रीय क्षेत्र क्षमता	राज्य क्षेत्र यूनिट	राज्य क्षेत्र क्षमता	निजी क्षेत्र यूनिट	निजी क्षेत्र क्षमता	कुल यूनिट	कुल क्षमता
चरण 1	01-01-2024 से 30-06-2026	11	2,230	25	5,230	1	500	37	7,960
चरण 2	01-07-2026 से 31-12-2028	18	5,170	10	2,140	0	0	28	7,310
चरण 3	01-01-2029 से 30-06-2031	12	2,810	14	3,560	0	0	26	6,370

चरण 4	01-07-2031 से 31-12-2033	8	2,550	15	3,730	2	500	25	6,780
चरण 5	01-01-2034 से 30-06-2036	5	1,630	17	4,330	3	750	25	6,710
चरण 6	01-07-2036 से 31-12-2038	12	5,420	8	2,175	0	0	20	7,595
चरण 7	01-01-2039 से 30-06-2041	5	2,000	16	4,590	4	1,000	25	7,590
चरण 8	01-07-2041 से 31-12-2043	5	1,740	9	2,655	9	2,660	23	7,055
चरण 9	01-01-2044 से 30-06-2046	5	2,490	2	460	7	3,120	14	6,070
कुल	समग्र	81	26,040	116	28,870	26	8,530	223	63,440

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) योजना का प्रथम चरण दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2026 तक प्रभावी है। 7,960 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 37 यूनिटों की आरएंडएम स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

- i. केंद्रीय क्षेत्र: 2,230 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 11 टीपीपी यूनिटों में से 1,600 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 8 यूनिट आवश्यकता-आधारित आरएंडएम के अंतर्गत हैं तथा शेष 630 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 3 यूनिट आरएंडएम कार्यक्रम के तहत क्रियान्वयनाधीन हैं।
- ii. राज्य क्षेत्र: 5,230 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 25 यूनिटों में से 1,890 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 9 यूनिट आवश्यकता-आधारित आरएंडएम के अंतर्गत हैं, 2,090 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 10 यूनिट आरएंडएम कार्यक्रम के तहत क्रियान्वयनाधीन हैं, 420 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 2 यूनिट आरएंडएम एवं अवधि-विस्तार अध्ययन के अंतर्गत हैं। शेष 830 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 4 यूनिट रिटायर की जा चुकी हैं।
- iii. निजी क्षेत्र: 500 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 1 यूनिट आरएंडएम कराने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसका पीपीए न्यूनतम कैपेक्स की सीमा के साथ केवल 5 वर्षों के लिए है।

इसके अतिरिक्त, सब-क्रिटिकल तापविद्युत यूनिटों के स्थान पर अधिक दक्ष सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि ये अधिक दक्ष होती हैं तथा इससे प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन पर CO₂ उत्सर्जन कम होता है। इससे कोयला खपत में कमी तथा ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी होती है। दिनांक 28.02.2026 तक 72,450 मेगावाट (104 यूनिट) सुपरक्रिटिकल यूनिट तथा 8,340 मेगावाट (12 यूनिट) अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिट का संचालन किया जा चुका है। वर्तमान में किसी मौजूदा सब-क्रिटिकल टीपीपी को सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल टीपीपी में उन्नयन करने के लिए कोई रेट्रोफिट विकल्प नहीं है।

वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.01.2026 तक) के लिए राज्य-वार और कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन-वार उत्पादन डेटा का विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	निगरानी क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	
क. कोयला आधारित विद्युत स्टेशन				
1	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवाय टीपीएस	2,400.00	9,843.35
2		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	2,560.00	11,413.87
3		पैनमपुरम टीपीपी	1,320.00	6,604.05
4		रायलसीमा टीपीएस	1,650.00	7,175.35
5		एसजीपीएल टीपीपी	1,320.00	7,901.48
6		सिम्हाद्री	2,000.00	9,153.38
7		सिम्हापुरी टीपीएस	600.00	2,272.83
8		मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड	1,000.00	1,374.21
9		वाईजेग टीपीपी	1,040.00	4,319.05
10	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	750.00	3,725.47
11	बिहार	बरौनी टीपीएस	500.00	2,890.04
12		बाढ़ एसटीपीएस	3,300.00	14,173.51
13		बक्सर टीपीपी	660.00	583.85
14		कहलगांव टीपीएस	2,340.00	13,073.16
15		मुजफ्फरपुर टीपीएस	390.00	2,053.09
16		नबीनगर एसटीपीपी	1,980.00	10,662.52
17		नबीनगर टीपीपी	1,000.00	5,116.80
18		छत्तीसगढ़	अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ टीपीपी	600.00
19	अडानी पावर लिमिटेड रायपुर टीपीपी		1,370.00	6,781.74
20	अकलतारा टीपीएस		1,800.00	9,897.53
21	बाल्को टीपीएस		600.00	3,245.05
22	बांदाखार टीपीपी		300.00	1,782.24
23	बारादरहा टीपीएस		1,200.00	7,361.57
24	भिलाई टीपीएस		500.00	3,010.34
25	बिंजकोट टीपीपी		600.00	3,475.78
26	चकबुरा टीपीपी		30.00	171.93
27	डीएसपीएम टीपीएस		500.00	3,300.69
28	कसाईपल्ली टीपीपी		270.00	1,307.50
29	कोरबा एसटीपीएस		2,600.00	16,560.81
30	कोरबा-वेस्ट टीपीएस		1,340.00	6,854.45
31	लारा टीपीपी		1,600.00	10,110.77
32	मारवा टीपीएस		1,000.00	5,348.75
33	नवापारा टीपीपी		600.00	3,320.41
34	ओपी ज़िंदल टीपीएस		1,000.00	6,351.58
35	पथडी टीपीपी		600.00	3,598.46
36	रतिजा टीपीएस		100.00	526.10
37	सीपत एसटीपीएस		2,980.00	17,564.89
38	एसवीपीएल टीपीपी		63.00	303.99
39	तमनार टीपीपी		2,400.00	15,067.91
40	उचपिंडा टीपीपी		1,440.00	6,753.71
41	वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ टीपीपी		600.00	1,715.83
42	गुजरात		अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - I और II	2,640.00
43		अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - III	1,980.00	9,908.13
44		गांधी नगर टीपीएस	630.00	1,027.24
45		मुंद्रा यूएमटीपीपी	4,000.00	6,414.01

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	निगरानी क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	
46		साबरमती (डीएफ स्टेशन)	362.00	2,076.88
47		सलाया टीपीपी	1,200.00	4,955.96
48		सिक्का आरईपी टीपीएस	500.00	400.92
49		उकाई टीपीएस	1,110.00	4,657.38
50		वानाकबोरी टीपीएस	2,270.00	6,516.64
51	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1,500.00	6,418.00
52		महात्मा गांधी टीपीएस	1,320.00	6,055.18
53		पानीपत टीपीएस	710.00	2,720.96
54		राजीव गांधी टीपीएस	1,200.00	3,537.76
55		यमुनानगर टीपीएस	600.00	3,036.17
56	झारखंड	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सप्रेस	500.00	2,149.34
57		चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	500.00	2,476.96
58		जोजोबेरा टीपीएस	240.00	1,373.99
59		कोडरमा टीपीपी	1,000.00	5,058.11
60		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540.00	2,966.70
61		मैथन आरबी टीपीपी	1,050.00	5,692.97
62		नॉर्थ करणपुरा टीपीपी	1,980.00	10,287.47
63		पतरातू एसटीपीपी	800.00	1,251.20
64		तेनुघाट टीपीएस	420.00	1,654.40
65	कर्नाटक	अडानी पावर लिमिटेड उडुपी टीपीपी	1,200.00	4,120.65
66		बेल्लारी टीपीएस	1,700.00	6,727.52
67		कुडगी एसटीपीपी	2,400.00	8,010.25
68		रायचूर टीपीएस	1,720.00	6,115.50
69		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00	1,691.14
70		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00	3,003.67
71		येरमारस टीपीपी	1,600.00	4,297.06
72	मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	210.00	1,442.74
73		अनूपपुर टीपीपी	1,250.00	7,014.88
74		बीना टीपीएस	500.00	2,758.30
75		गाडरवारा टीपीपी	1,600.00	7,460.15
76		खरगोन एसटीपीपी	1,320.00	5,853.74
77		महान टीपीपी	1,200.00	6,690.25
78		निगरी टीपीपी	1,320.00	8,580.75
79		निवाड़ी टीपीपी	90.00	458.59
80		संजय गांधी टीपीएस	1,340.00	6,398.03
81		सासन यूएमटीपीपी	3,960.00	25,109.05
82		सतपुड़ा टीपीएस	500.00	2,769.83
83		शिवनी टीपीपी	600.00	3,237.44
84		श्री सिंगाजी टीपीपी	2,520.00	11,422.99
85	विंध्याचल एसटीपीएस	4,760.00	27,425.73	
86	महाराष्ट्र	अडानी पावर लिमिटेड तिरोदा टीपीपी	3,300.00	17,011.55
87		अमरावती टीपीएस	1,350.00	8,012.42
88		बेला टीपीएस	270.00	1,596.60
89		भुसावल टीपीएस	1,870.00	7,448.33
90		बुटीबोरी टीपीपी	600.00	1,969.39
91		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2,920.00	11,624.10
92		दहानू टीपीएस	500.00	2,331.53
93		धारीवाल टीपीपी	600.00	3,715.77
94		जीईपीएल टीपीपी फेज- I	120.00	-
95		जीएमआर वरोरा टीपीएस	600.00	3,681.57
96		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300.00	1,427.26
97		खापरखेड़ा टीपीएस	1,340.00	6,268.89
98		कोराडी टीपीएस	2,190.00	10,707.72
99		मौदा टीपीएस	2,320.00	12,420.10

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	निगरानी क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	
100		मिहान टीपीएस	246.01	-
101		नासिक टीपीएस	630.00	2,302.94
102		पारस टीपीएस	500.00	2,322.62
103		परली टीपीएस	750.00	2,280.83
104		शिरपुर टीपीपी	300.00	1,525.84
105		सोलापुर एसटीपीएस	1,320.00	5,413.21
106		ट्रॉम्बे टीपीएस	750.00	3,133.91
107	वर्धा वरोरा टीपीपी	540.00	3,207.81	
108	ओडिशा	दारलीपाली एसटीपीएस	1,600.00	9,625.40
109		डेरंग टीपीपी	1,200.00	7,525.53
110		आईबी वैली टीपीएस	1,740.00	10,382.60
111		जेएसडब्ल्यू एनर्जी उत्कल लिमिटेड	700.00	3,373.59
112		कामलंगा टीपीएस	1,050.00	6,595.26
113		मादुर्गा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड.	60.00	287.48
114		तालचेर एसटीपीएस	3,000.00	17,120.36
115	वेदांता टीपीपी	600.00	2,189.18	
116	पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	920.00	4,804.62
117		गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540.00	2,159.35
118		राजपुरा टीपीपी	1,400.00	8,043.17
119		रोपड़ टीपीएस	840.00	3,580.79
120	तलवंडी साबो टीपीपी	1,980.00	8,823.28	
121	राजस्थान	अडानी पावर लिमिटेड कवाई टीपीपी	1,320.00	6,654.73
122		छाबड़ा-1 फेज-1 टीपीपी	500.00	2,412.17
123		छाबड़ा-1 फेज-2 टीपीपी	500.00	2,681.35
124		छाबड़ा-II टीपीपी	1,320.00	5,048.04
125		कालीसिंध टीपीएस	1,200.00	5,444.55
126		कोटा टीपीएस	1,240.00	6,066.37
127		श्री सीमेंट लिमिटेड टीपीएस	344.00	1,066.22
128		सूरतगढ़ स्टेशन	1,320.00	5,939.25
129	सूरतगढ़ टीपीएस	1,500.00	4,640.10	
130	तमिलनाडु	आईटीपीसीएल टीपीपी	1,200.00	4,756.45
131		मेट्टूर टीपीएस	840.00	3,817.05
132		मेट्टूर टीपीएस-II	600.00	2,166.24
133		मुथियारा टीपीपी	1,200.00	4,011.77
134		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस स्टेज 1	630.00	2,332.50
135		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस स्टेज 2	1,200.00	3,984.51
136		एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	1,000.00	4,356.02
137		ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	414.00	1,512.23
138		टीसीपी लिमिटेड	63.50	-
139		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00	-
140		तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	525.00	2,390.57
141		तूतीकोरिन टीपीएस	1,050.00	3,076.40
142		वल्लूर टीपीपी	1,500.00	6,359.56
143		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस स्टेज 2	800.00	121.99
144	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	1,080.00	4,281.13
145		काकतीय टीपीएस	1,100.00	6,059.42
146		कोठागुडेम टीपीएस (नया)	1,000.00	3,655.18
147		कोठागुडेम टीपीएस (फेज-7)	800.00	3,445.40
148		रामागुंडम एसटीपीएस	2,600.00	11,339.58
149		रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50	-
150		सिंगरेनी टीपीपी	1,200.00	6,246.79
151		तेलंगाना एसटीपीपी फेज-1	1,600.00	7,887.77
152		यादाद्री टीपीएस	2,400.00	4,502.38
153	उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	1,200.00	6,777.85

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	निगरानी क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	
			वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)		
154		अनपरा टीपीएस	2,630.00	15,170.04	
155		बरखेड़ा टीपीएस	90.00	274.50	
156		दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820.00	7,441.85	
157		घाटमपुर टीपीपी	1,320.00	3,378.27	
158		हरदुआगंज टीपीएस	1,265.00	3,880.68	
159		जवाहरपुर एसटीपीपी	1,320.00	2,114.38	
160		खंभरखेड़ा टीपीएस	90.00	263.23	
161		खुर्जा टीपीपी	1,320.00	4,982.67	
162		कुंदरकी टीपीएस	90.00	279.02	
163		ललितपुर टीपीएस	1,980.00	9,885.83	
164		मकसूदपुर टीपीएस	90.00	272.89	
165		मेजा एसटीपीपी	1,320.00	6,553.53	
166		ओबरा टीपीएस	2,320.00	8,285.71	
167		पंकी टीपीएस एक्सटेंशन	660.00	1,673.42	
168		परिछा टीपीएस	920.00	3,977.31	
169		प्रयागराज टीपीपी	1,980.00	10,734.22	
170		रिहंद एसटीपीएस	3,000.00	18,058.31	
171		रोसा टीपीपी फेज़ -I	1,200.00	5,811.22	
172		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000.00	11,604.96	
173		टांडा टीपीएस	1,760.00	7,668.28	
174		ऊंचाहार टीपीएस	1,550.00	7,714.55	
175		उतरौला टीपीएस	90.00	264.62	
176		पश्चिम बंगाल	बकरेस्वर टीपीएस	1,050.00	6,841.69
177			बंदेल टीपीएस	270.00	1,664.51
178			बज बज टीपीएस	750.00	4,416.03
179	डीपीएल टीपीएस		550.00	2,898.40	
180	दुर्गापुर स्टील टीपीएस		1,000.00	5,134.47	
181	फरक्का स्टेशन		2,100.00	10,362.70	
182	हल्दिया टीपीपी		600.00	4,166.18	
183	हिरण्मय टीपीपी		300.00	1,462.36	
184	कोलाघाट टीपीएस		840.00	4,472.33	
185	मेजिया टीपीएस		2,340.00	12,726.61	
186	रघुनाथपुर टीपीपी		1,200.00	5,554.44	
187	सागरदिघी टीपीएस		1,600.00	10,100.54	
188	संतालडीह टीपीएस		500.00	3,350.62	
189	दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस		135.00	220.87	
कोयला आधारित उप योग			2,21,210.01	10,31,882.53	
ख. लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन					
1	गुजरात	अक्रिमोटा लिग्नाइट टीपीएस	250.00	158.54	
2		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500.00	1,421.09	
3		कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	150.00	255.22	
4		सूरत लिग्नाइट टीपीएस	500.00	2,626.30	
5	राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट	250.00	1,316.45	
6		गिरल टीपीएस	250.00	-	
7		जालिपा कपूर्दी टीपीपी	1,080.00	5,251.68	
8	तमिलनाडु	नेवेली (एक्सटेंशन) टीपीएस	420.00	1,794.01	
9		नेवेली न्यू टीपीपी	1,000.00	4,648.32	
10		नेवेली टीपीएस-II	1,470.00	4,665.65	
11		नेवेली टीपीएस-II एक्सपेंशन	500.00	1,478.28	
12		नेवेली टीपीएस (जेड)	250.00	1,291.18	
लिग्नाइट आधारित उप जोड़			6,620.00	24,906.72	
कुल मिलाकर (संयंत्रों की संख्या = 201)			2,27,830.01	10,56,789.25	

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य-वार और कोयला आधारित विद्युत स्टेशन-वार उत्पादन डेटा का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)		
		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25			
क. कोयला आधारित विद्युत स्टेशन							
1	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवाय टीपीएस	2,400.00	9,751.63	2,400.00	11,859.81	
2		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	2,560.00	12,062.94	2,560.00	14,381.73	
3		पैनमपुरम टीपीपी	1,320.00	9,522.77	1,320.00	8,134.65	
4		रायलसीमा टीपीएस	1,650.00	10,423.04	1,650.00	9,318.22	
5		एसजीपीएल टीपीपी	1,320.00	9,287.00	1,320.00	9,485.55	
6		सिम्हाद्री	2,000.00	11,641.37	2,000.00	12,233.13	
7		सिम्हापुरी टीपीएस	600.00	3,098.28	600.00	3,252.71	
8		थम्मिनापट्टनम टीपीएस	300.00	-	300.00	269.48	
9		वाईजैग टीपीपी	1,040.00	5,454.21	1,040.00	3,897.66	
10	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	750.00	5,058.11	750.00	4,787.20	
11	बिहार	बरौनी टीपीएस	710.00	3,151.64	710.00	3,632.02	
12		बाढ़ एसटीपीएस	2,640.00	14,392.04	2,640.00	16,667.03	
13		कहलगांव टीपीएस	2,340.00	16,555.49	2,340.00	16,525.32	
14		मुजफ्फरपुर टीपीएस	390.00	2,906.20	390.00	2,802.01	
15		नबीनगर एसटीपीपी	1,980.00	14,411.96	1,980.00	14,044.14	
16		नबीनगर टीपीपी	1,000.00	6,944.47	1,000.00	7,087.23	
17	छत्तीसगढ़	अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ टीपीपी	600.00	3,971.95	600.00	4,370.64	
18		अडानी पावर लिमिटेड रायपुर टीपीपी	1,370.00	8,687.26	1,370.00	9,395.44	
19		अकलतारा टीपीएस	1,800.00	10,716.06	1,800.00	10,630.78	
20		बाल्को टीपीएस	600.00	3,259.83	600.00	4,031.65	
21		बांदाखार टीपीपी	300.00	2,176.19	300.00	1,958.01	
22		बारादरहा टीपीएस	1,200.00	9,004.67	1,200.00	8,917.50	
23		भिलाई टीपीएस	500.00	3,875.74	500.00	3,613.86	
24		बिजकोट टीपीपी	600.00	2,949.11	600.00	3,704.52	
25		चक्रबुरा टीपीपी	30.00	220.13	30.00	189.31	
26		डीएसपीएम टीपीएस	500.00	4,072.79	500.00	3,733.11	
27		कसाईपल्ली टीपीपी	270.00	1,508.73	270.00	1,380.66	
28		कटघोरा टीपीपी	35.00	-	35.00	-	
29		कोरबा एसटीपीएस	2,600.00	20,517.25	2,600.00	20,671.02	
30		कोरबा- वेस्ट टीपीएस	1,340.00	9,607.08	1,340.00	8,301.97	
31		लारा टीपीपी	1,600.00	11,751.56	1,600.00	12,648.07	
32		मारवा टीपीएस	1,000.00	7,388.58	1,000.00	6,804.82	
33		नवापारा टीपीपी	600.00	3,430.44	600.00	3,859.20	
34		ओपी जिंदल टीपीएस	1,000.00	7,517.45	1,000.00	7,293.09	
35		पथडी टीपीपी	600.00	3,872.30	600.00	4,315.03	
36		रतिजा टीपीएस	100.00	643.65	100.00	607.61	
37		सलौरा टीपीपी	135.00	-	135.00	-	
38		सीपत एसटीपीएस	2,980.00	22,358.74	2,980.00	22,986.72	
39		एसवीपीएल टीपीपी	63.00	338.82	63.00	381.62	
40		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25.00	-	25.00	-	
41		तमनार टीपीपी	2,400.00	17,140.60	2,400.00	18,979.52	
42		उचपिंडा टीपीपी	1,440.00	7,379.70	1,440.00	7,657.23	
43		गुजरात	अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - I और II	2,640.00	10,639.41	2,640.00	16,762.56
44			अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - III	1,980.00	11,847.96	1,980.00	11,990.52
45			गांधी नगर टीपीएस	630.00	2,966.65	630.00	2,373.57
46			मुंद्रा यूएमटीपीपी	4,000.00	20,275.93	4,000.00	23,655.33
47			साबरमती (डीएफ स्टेशन)	362.00	2,892.14	362.00	2,578.41

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
48	सलाया टीपीपी	1,200.00	4,029.55	1,200.00	5,707.94
49	सिक्का आरईपी टीपीएस	500.00	784.77	500.00	889.64
50	उकाई टीपीएस	1,110.00	5,274.58	1,110.00	5,683.31
51	वानाकबोरी टीपीएस	2,270.00	12,070.01	2,270.00	10,128.56
52	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1,500.00	8,284.84	1,500.00	8,711.53
53	महात्मा गांधी टीपीएस	1,320.00	8,251.07	1,320.00	8,132.51
54	पानीपत टीपीएस	710.00	3,707.13	710.00	4,489.69
55	राजीव गांधी टीपीएस	1,200.00	4,304.34	1,200.00	5,551.36
56	यमुना नगर टीपीएस	600.00	3,512.77	600.00	3,343.47
57	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सप्रेस	500.00	3,607.92	500.00	3,188.70
58	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	500.00	3,747.66	500.00	3,479.40
59	जोजोबेरा टीपीएस	240.00	1,713.30	240.00	1,685.54
60	कोडरमा टीपीपी	1,000.00	7,066.86	1,000.00	7,358.35
61	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540.00	3,740.28	540.00	3,886.08
62	मैथन आरबी टीपीपी	1,050.00	8,179.04	1,050.00	7,253.28
63	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी	1,320.00	5,335.16	1,320.00	9,708.54
64	तेनुघाट टीपीएस	420.00	2,374.59	420.00	2,252.32
65	अडानी पावर लिमिटेड उडुपी टीपीपी	1,200.00	5,655.83	1,200.00	5,450.40
66	बेल्लारी टीपीएस	1,700.00	8,208.51	1,700.00	8,182.28
67	कुडगी एसटीपीपी	2,400.00	12,092.37	2,400.00	12,090.09
68	रायचूर टीपीएस	1,720.00	7,875.64	1,720.00	8,310.39
69	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00	1,711.45	260.00	1,595.43
70	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00	2,693.49	600.00	2,825.05
71	येरमारस टीपीपी	1,600.00	6,229.29	1,600.00	5,914.29
72	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	210.00	1,804.17	210.00	1,546.01
73	अनूपपुर टीपीपी	1,250.00	8,429.27	1,250.00	8,515.23
74	बीना टीपीएस	500.00	3,328.98	500.00	3,006.48
75	गाडरवारा टीपीपी	1,600.00	9,995.71	1,600.00	9,027.54
76	खरगोन एसटीपीपी	1,320.00	7,686.92	1,320.00	7,421.16
77	महान टीपीपी	1,200.00	6,736.17	1,200.00	8,324.39
78	निगरी टीपीपी	1,320.00	9,840.56	1,320.00	9,357.73
79	निवाड़ी टीपीपी	90.00	540.25	90.00	526.85
80	संजय गांधी टीपीएस	1,340.00	7,991.71	1,340.00	8,445.18
81	सासन यूएमटीपीपी	3,960.00	32,529.74	3,960.00	31,425.10
82	सतपुड़ा टीपीएस	1,330.00	3,900.76	1,330.00	3,756.02
83	शिवनी टीपीपी	600.00	3,596.53	600.00	3,216.46
84	श्री सिंगाजी टीपीपी	2,520.00	14,912.41	2,520.00	15,042.59
85	विंध्याचल एसटीपीएस	4,760.00	37,386.85	4,760.00	36,506.02
86	अडानी पावर लिमिटेड त्रिरोदा टीपीपी	3,300.00	21,262.06	3,300.00	21,595.86
87	अमरावती टीपीएस	1,350.00	9,758.55	1,350.00	9,278.91
88	बेला टीपीएस	270.00	1,790.43	270.00	1,862.03
89	भुसावल टीपीएस	1,210.00	7,575.38	1,870.00	7,250.32
90	बुटीबोरी टीपीपी	600.00	-	600.00	-
91	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2,920.00	16,279.77	2,920.00	14,900.57
92	दहानू टीपीएस	500.00	3,248.48	500.00	3,200.80
93	धारीवाल टीपीपी	600.00	4,421.55	600.00	4,588.52
94	जीईपीएल टीपीपी फेज- I	120.00	-	120.00	-
95	जीएमआर वरोरा टीपीएस	600.00	4,374.59	600.00	4,452.36
96	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300.00	1,975.40	300.00	1,971.76
97	खापरखेड़ा टीपीएस	1,340.00	8,267.44	1,340.00	8,811.42
98	कोराडी टीपीएस	2,190.00	13,173.34	2,190.00	13,608.83
99	मोंदा टीपीएस	2,320.00	14,906.24	2,320.00	14,264.23
100	मिहान टीपीएस	246.01	-	246.01	-
101	नासिक (पी) टीपीएस	1,350.00	-	1,350.00	-
102	नासिक टीपीएस	630.00	2,647.28	630.00	2,973.62

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
103	पारस टीपीएस	500.00	3,596.01	500.00	3,041.57
104	परली टीपीएस	750.00	4,103.55	750.00	3,952.75
105	शिरपुर टीपीपी	300.00	334.11	300.00	1,487.97
106	सोलापुर एसटीपीएस	1,320.00	7,181.43	1,320.00	6,830.21
107	ट्रॉम्बे टीपीएस	750.00	4,179.09	750.00	3,192.59
108	वर्धा वरोरा टीपीपी	540.00	3,850.10	540.00	3,892.91
109	दारलीपाली एसटीपीएस	1,600.00	12,054.96	1,600.00	12,096.12
110	डेरेग टीपीपी	1,200.00	8,289.60	1,200.00	9,043.44
111	आईबी वैली टीपीएस	1,740.00	11,799.68	1,740.00	12,769.14
112	उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350.00	262.99	350.00	1,984.08
113	कामलंगा टीपीएस	1,050.00	7,581.80	1,050.00	7,944.68
114	मादुर्गा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड.	-	-	60.00	197.15
115	तालचेर एसटीपीएस	3,000.00	22,625.01	3,000.00	21,382.44
116	वेदांता टीपीपी	600.00	2,996.34	600.00	2,442.35
117	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	920.00	4,639.97	920.00	4,865.76
118	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540.00	2,464.79	540.00	3,061.23
119	राजपुरा टीपीपी	1,400.00	10,344.57	1,400.00	10,085.85
120	रोपड़ टीपीएस	840.00	3,953.06	840.00	4,553.78
121	तलवंडी साबो टीपीपी	1,980.00	11,060.46	1,980.00	11,008.59
122	अडानी पावर लिमिटेड कवाई टीपीपी	1,320.00	8,881.72	1,320.00	9,177.28
123	छाबड़ा-1 फेज-1 टीपीपी	500.00	3,481.68	500.00	3,411.49
124	छाबड़ा-1 फेज-2 टीपीपी	500.00	2,544.58	500.00	3,590.70
125	छाबड़ा-II टीपीपी	1,320.00	7,229.32	1,320.00	8,017.52
126	कालीसिंध टीपीएस	1,200.00	7,062.75	1,200.00	7,565.81
127	कोटा टीपीएस	1,240.00	8,482.51	1,240.00	8,796.64
128	श्री सीमेंट लिमिटेड टीपीएस	300.00	445.25	300.00	1,377.53
129	सूरतगढ़ स्टेशन	1,320.00	6,489.12	1,320.00	6,952.58
130	सूरतगढ़ टीपीएस	1,500.00	7,084.69	1,500.00	7,655.53
131	आईटीपीसीएल टीपीपी	1,200.00	7,440.83	1,200.00	6,936.33
132	मेट्र टीपीएस	840.00	5,805.22	840.00	4,989.65
133	मेट्र टीपीएस - II	600.00	3,202.15	600.00	2,704.65
134	मुथियारा टीपीपी	1,200.00	5,518.77	1,200.00	5,236.46
135	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1,830.00	9,986.57	1,830.00	8,306.98
136	एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	1,000.00	5,462.36	1,000.00	5,236.46
137	ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	414.00	492.17	414.00	2,323.98
138	टीसीपी लिमिटेड	-	-	63.50	-
139	तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00	-	300.00	-
140	तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	525.00	3,041.79	525.00	3,039.92
141	तूतीकोरिन टीपीएस	1,050.00	6,485.17	1,050.00	5,941.41
142	वल्लूर टीपीपी	1,500.00	6,623.27	1,500.00	8,660.91
143	भद्राद्री टीपीपी	1,080.00	6,953.98	1,080.00	5,332.79
144	काकतीय टीपीएस	1,100.00	8,227.68	1,100.00	6,443.45
145	कोठागुडेम टीपीएस (नया)	1,000.00	6,828.34	1,000.00	5,940.32
146	कोठागुडेम टीपीएस (फेज-7)	800.00	6,011.28	800.00	5,538.98
147	रामागुंडम एसटीपीएस	2,600.00	16,949.35	2,600.00	15,037.78
148	रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50	258.90	62.50	21.09
149	सिंगरेनी टीपीपी	1,200.00	8,853.53	1,200.00	7,986.30
150	तेलंगाना एसटीपीपी फेज-1	1,600.00	2,830.67	1,600.00	10,404.44
151	यादाद्री टीपीएस	-	-	800.00	264.05
152	अनपरा सी टीपीएस	1,200.00	8,161.55	1,200.00	8,160.08
153	अनपरा टीपीएस	2,630.00	17,256.44	2,630.00	17,006.56
154	बरखेड़ा टीपीएस	90.00	347.29	90.00	387.62
155	दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820.00	9,982.72	1,820.00	9,901.80
156	घाटमपुर टीपीपी	-	-	660.00	1,053.22
157	हरदुआगंज टीपीएस	1,265.00	6,428.87	1,265.00	5,430.45

क्रम सं.		स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
158		जवाहरपुर एसटीपीपी	660.00	-	1,320.00	2,405.03
159		खंभरखेड़ा टीपीएस	90.00	339.87	90.00	389.34
160		खुर्जा टीपीपी	-	-	660.00	870.80
161		कुंदरकी टीपीएस	90.00	326.46	90.00	374.97
162		ललितपुर टीपीएस	1,980.00	12,352.91	1,980.00	12,551.42
163		मकसूदपुर टीपीएस	90.00	349.51	90.00	404.43
164		मेजा एसटीपीपी	1,320.00	8,275.82	1,320.00	8,598.70
165		ओबरा टीपीएस	1,660.00	4,810.77	1,660.00	7,975.65
166		पंकी टीपीएस एक्सटेंशन	-	-	660.00	-
167		परिछा टीपीएस	920.00	5,208.04	920.00	5,439.03
168		प्रयागराज टीपीपी	1,980.00	12,699.02	1,980.00	12,987.15
169		रिहंद एसटीपीएस	3,000.00	23,399.81	3,000.00	23,426.61
170		रोसा टीपीपी फेज़ -I	1,200.00	7,609.70	1,200.00	7,402.50
171		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000.00	15,756.09	2,000.00	15,657.40
172		टांडा टीपीएस	1,760.00	10,397.00	1,760.00	10,728.24
173		ऊंचाहार टीपीएस	1,550.00	8,464.35	1,550.00	9,815.70
174		उतरीला टीपीएस	90.00	338.98	90.00	370.60
175	पश्चिम बंगाल	बकरेस्वर टीपीएस	1,050.00	8,155.93	1,050.00	8,583.13
176		बंदेल टीपीएस	270.00	1,774.69	270.00	2,158.88
177		बज बज टीपीएस	750.00	5,734.98	750.00	5,489.13
178		डीपीएल टीपीएस	550.00	2,375.21	550.00	3,887.17
179		दिशेरगढ़ टीपीपी	12.00	46.52	12.00	41.19
180		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1,000.00	7,079.73	1,000.00	7,058.57
181		फरक्का स्टेशन	2,100.00	13,784.22	2,100.00	14,023.79
182		हल्दिया टीपीपी	600.00	4,563.95	600.00	4,790.42
183		हिरण्मय टीपीपी	300.00	1,861.44	300.00	1,933.85
184		कोलाघाट टीपीएस	840.00	5,393.77	840.00	5,606.49
185		मेजिया टीपीएस	2,340.00	15,670.77	2,340.00	15,711.73
186		रघुनाथपुर टीपीपी	1,200.00	6,954.97	1,200.00	6,576.47
187		सागरदिची टीपीएस	1,600.00	11,527.89	1,600.00	12,734.18
188		संतालडीह टीपीएस	500.00	3,949.21	500.00	4,133.69
189		दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस	135.00	640.68	135.00	439.48
190		टीटागढ़ टीपीएस	240.00	-	240.00	-
कोयला आधारित उप-योग			2,10,969.51	12,60,902.62	2,15,193.01	12,98,872.29
ख. लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र						
1	गुजरात	अक्रिमोटा लिग्नाइट टीपीएस	250.00	451.98	250.00	88.13
2		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500.00	1,874.93	500.00	1,521.86
3		कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	150.00	404.40	150.00	470.98
4		सूरत लिग्नाइट टीपीएस	500.00	3,085.12	500.00	3,164.78
5	राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट	250.00	1,692.16	250.00	1,759.56
6		गिरल टीपीएस	250.00	0.00	250.00	0.00
7		जालिपा कपूर्दी टीपीपी	1,080.00	7,084.30	1,080.00	6,760.62
8	तमिलनाडु	नेवेली (एक्सटेंशन) टीपीएस	420.00	2,871.16	420.00	3,006.93
9		नेवेली न्यू टीपीपी	1,000.00	7,073.21	1,000.00	6,729.57
10		नेवेली टीपीएस-II	1,470.00	5,756.11	1,470.00	6,760.01
11		नेवेली टीपीएस-II एक्सपेंशन	500.00	2,154.85	500.00	1,074.46
12		नेवेली टीपीएस (जेड)	250.00	1,501.57	250.00	1,657.87
लिग्नाइट-आधारित उप जोड़			6,620.00	33,949.79	6,620.00	32,994.77
कुल योग			2,17,589.51	12,94,852.41	2,21,813.01	13,31,867.06

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य-वार और कोयला एवं लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन-वार उत्पादन डेटा का विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			2021-22		2022-23	
क. कोयला आधारित विद्युत स्टेशन						
1	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवाय टीपीएस	1,600.00	5,672.41	2,400.00	5,883.05
2		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1,760.00	11,591.18	1,760.00	11,121.58
3		पैनमपुरम टीपीपी	1,320.00	9,331.61	1,320.00	8,897.49
4		रायलसीमा टीपीएस	1,650.00	6,828.52	1,650.00	9,313.14
5		एसजीपीएल टीपीपी	1,320.00	7,629.01	1,320.00	8,101.71
6		सिम्हाद्री	2,000.00	11,570.21	2,000.00	12,641.29
7		सिम्हापुरी टीपीएस	600.00	0.00	600.00	135.53
8		थम्मिनापट्टनम टीपीएस	300.00	422.41	300.00	0.00
9		वाईजैग टीपीपी	1,040.00	281.39	1,040.00	4,838.14
10		असम	बोगाईगांव टीपीपी	750.00	4,201.45	750.00
11	बिहार	बरौनी टीपीएस	710.00	2,410.67	710.00	3,622.80
12		बाढ़ एसटीपीएस	1,980.00	8,821.55	1,980.00	13,138.38
13		कहलगांव टीपीएस	2,340.00	16,026.71	2,340.00	15,595.60
14		मुजफ्फरपुर टीपीएस	390.00	2,849.53	390.00	2,991.96
15		नबीनगर एसटीपीपी	1,980.00	8,138.21	1,980.00	12,924.67
16		नबीनगर टीपीपी	1,000.00	5,693.73	1,000.00	6,926.80
17		अकलतारा टीपीएस	1,800.00	9,005.13	1,800.00	10,630.91
18	छत्तीसगढ़	अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ टीपीपी	600.00	3,704.70	600.00	3,968.28
19		बाल्को टीपीएस	600.00	3,438.03	600.00	2,541.09
20		बांदाखार टीपीपी	300.00	2,162.84	300.00	1,513.15
21		बारादरहा टीपीएस	1,200.00	8,633.69	1,200.00	7,632.45
22		भिलाई टीपीएस	500.00	3,517.73	500.00	3,791.95
23		बिंजकोट टीपीपी	600.00	1,664.15	600.00	1,452.13
24		चकबुरा टीपीपी	30.00	104.40	30.00	195.15
25		डीएसपीएम टीपीएस	500.00	3,908.44	500.00	3,648.13
26		कसाईपल्ली टीपीपी	270.00	1,391.81	270.00	1,139.39
27		कटघोरा टीपीपी	35.00	0.00	35.00	0.00
28		कोरबा एसटीपीएस	2,600.00	21,245.37	2,600.00	20,759.68
29		कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1,340.00	8,778.11	1,340.00	9,686.01
30		लारा टीपीपी	1,600.00	11,365.81	1,600.00	11,685.41
31		मारवा टीपीएस	1,000.00	4,827.36	1,000.00	4,375.48
32		नवापारा टीपीपी	600.00	693.79	600.00	2,588.65
33		ओपी ज़िंदल टीपीएस	1,000.00	5,225.88	1,000.00	5,990.97
34		पथडी टीपीपी	600.00	4,024.01	600.00	3,235.81
35		अडानी पावर लिमिटेड रायपुर टीपीपी	1,370.00	8,834.61	1,370.00	7,084.49
36		रतिजा टीपीएस	100.00	663.75	100.00	537.07
37		सलोरा टीपीपी	135.00	0.00	135.00	0.00
38		सीपत एसटीपीएस	2,980.00	21,220.75	2,980.00	21,168.02
39		एसवीपीएल टीपीपी	63.00	0.00	63.00	0.00
40		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25.00	0.00	25.00	0.00
41		तमनार टीपीपी	2,400.00	9,587.90	2,400.00	12,977.06
42	उचपिंडा टीपीपी	1,440.00	6,872.61	1,440.00	5,997.92	
43	गुजरात	गांधी नगर टीपीएस	630.00	3,313.29	630.00	3,694.55
44		अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - III	1,980.00	2,982.15	1,980.00	3,784.88
45		अडानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - I और II	2,640.00	8,980.02	2,640.00	5,690.16

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			2021-22		2022-23	
46		मुंद्रा यूएमटीपीपी	4,000.00	9,088.34	4,000.00	11,730.07
47		साबरमती (डीएफ स्टेशन)	362.00	2,437.82	362.00	2,798.01
48		सलाया टीपीपी	1,200.00	0.00	1,200.00	2,056.52
49		सिक्का आरईपी टीपीएस	500.00	962.12	500.00	1,563.82
50		उकाई टीपीएस	1,110.00	5,027.92	1,110.00	5,431.52
51		वानाकबोरी टीपीएस	2,270.00	11,092.74	2,270.00	10,847.05
52	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1,500.00	7,051.21	1,500.00	8,268.17
53		महात्मा गांधी टीपीएस	1,320.00	7,756.83	1,320.00	8,145.93
54		पानीपत टीपीएस	710.00	2,754.95	710.00	4,859.39
55		राजीव गांधी टीपीएस	1,200.00	2,674.31	1,200.00	6,636.56
56		यमुना नगर टीपीएस	600.00	2,610.13	600.00	4,226.63
57	झारखंड	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सप्रेस	500.00	2,996.83	500.00	3,796.11
58		चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	500.00	3,815.98	500.00	3,478.12
59		जोजोबेरा टीपीएस	240.00	1,615.14	240.00	1,788.09
60		कोडरमा टीपीपी	1,000.00	6,930.26	1,000.00	7,269.56
61		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540.00	3,724.14	540.00	3,497.06
62		मैथन आरबी टीपीपी	1,050.00	7,489.25	1,050.00	7,558.98
63		नॉर्थ करणपुरा टीपीपी	-	-	660.00	499.32
64		तेनुघाट टीपीएस	420.00	1,767.12	420.00	2,585.54
65	कर्नाटक	बेल्तारी टीपीएस	1,700.00	6,616.60	1,700.00	7,096.67
66		कुडगी एसटीपीपी	2,400.00	6,709.08	2,400.00	11,330.75
67		रायचूर टीपीएस	1,720.00	6,700.99	1,720.00	6,582.65
68		तोरंगलू टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00	1,428.38	260.00	1,835.47
69		तोरंगलू टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00	1,957.41	600.00	2,018.43
70		अडानी पावर लिमिटेड उडुपी टीपीपी	1,200.00	1,712.43	1,200.00	1,410.93
71	येरमारस टीपीपी	1,600.00	5,380.37	1,600.00	4,739.40	
72	मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	210.00	1,507.83	210.00	1,433.97
73		अनूपपुर टीपीपी	1,200.00	7,715.95	1,200.00	7,518.22
74		बीना टीपीएस	500.00	2,508.67	500.00	2,979.74
75		गाडरवारा टीपीपी	1,600.00	7,965.67	1,600.00	9,390.94
76		खरगोन एसटीपीपी	1,320.00	6,343.97	1,320.00	5,630.45
77		महान टीपीपी	1,200.00	3,431.14	1,200.00	3,782.92
78		निगरी टीपीपी	1,320.00	8,381.90	1,320.00	8,036.35
79		निवाड़ी टीपीपी	90.00	167.99	90.00	318.71
80		संजय गांधी टीपीएस	1,340.00	6,631.59	1,340.00	8,782.77
81		सासन यूएमटीपीपी	3,960.00	32,673.14	3,960.00	29,763.91
82		सतपुड़ा टीपीएस	1,330.00	3,449.85	1,330.00	3,968.04
83		शिवनी टीपीपी	600.00	3,708.01	600.00	3,727.99
84		श्री सिंगाजी टीपीपी	2,520.00	9,418.46	2,520.00	13,167.30
85		विंध्याचल एसटीपीएस	4,760.00	35,730.28	4,760.00	37,337.16
86	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1,350.00	8,880.99	1,350.00	9,127.46
87		बेला टीपीएस	270.00	0.00	270.00	759.21
88		भुसावल टीपीएस	1,210.00	6,158.13	1,210.00	6,835.02
89		बुटीबोरी टीपीपी	600.00	0.00	600.00	0.00
90		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2,920.00	14,991.95	2,920.00	15,067.28
91		दहानू टीपीएस	500.00	3,337.86	500.00	3,498.90
92		धारीवाल टीपीपी	600.00	3,990.83	600.00	4,229.47
93		जीईपीएल टीपीपी फेज- I	120.00	0.00	120.00	0.00
94		जीएमआर वरोरा टीपीएस	600.00	3,478.26	600.00	4,318.74
95		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300.00	3,417.94	300.00	676.13
96		खापरखेड़ा टीपीएस	1,340.00	7,140.51	1,340.00	7,775.49
97		कोराडी टीपीएस	2,190.00	11,746.63	2,190.00	12,399.53
98		मौदा टीपीएस	2,320.00	12,205.51	2,320.00	14,714.12
99		मिहान टीपीएस	246.00	0.00	246.00	0.00
100		नासिक (पी) टीपीएस	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
101	नासिक टीपीएस	630.00	2,014.02	630.00	2,666.36	

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			2021-22		2022-23	
102		पारस टीपीएस	500.00	2,634.60	500.00	3,069.69
103		परली टीपीएस	750.00	2,950.05	750.00	3,927.99
104		शिरपुर टीपीपी	150.00	0.00	150.00	0.00
105		सोलापुर एसटीपीएस	1,320.00	5,081.29	1,320.00	5,879.54
106		अडानी पावर लिमिटेड तिरोदा टीपीपी	3,300.00	21,647.19	3,300.00	22,600.44
107		ट्रॉम्बे टीपीएस	750.00	4,550.60	750.00	4,147.53
108		वर्धा वरोरा टीपीपी	540.00	2,259.56	540.00	2,784.57
109		दारलीपाली एसटीपीएस	1,600.00	9,129.42	1,600.00	11,317.57
110		डेरंग टीपीपी	1,200.00	8,559.39	1,200.00	7,862.69
111		आईबी वैली टीपीएस	1,740.00	10,199.41	1,740.00	11,724.28
112	ओडिशा	कामलंगा टीपीएस	1,050.00	7,530.42	1,050.00	7,080.76
113		तालचर एसटीपीएस	3,000.00	22,123.45	3,000.00	23,223.19
114		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350.00	0.00	350.00	0.00
115		वेदांता टीपीपी	600.00	2,276.82	600.00	3,323.09
116		जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	920.00	2,007.29	920.00	3,917.16
117		गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540.00	1,884.24	540.00	2,141.36
118	पंजाब	राजपुरा टीपीपी	1,400.00	9,654.01	1,400.00	10,379.53
119		रोपड़ टीपीएस	840.00	1,734.71	840.00	3,532.26
120		तलवंडी साबो टीपीपी	1,980.00	8,895.57	1,980.00	11,535.85
121		छाबड़ा-II टीपीपी	1,320.00	5,633.26	1,320.00	7,268.77
122		छाबड़ा-I फेज-1 टीपीपी	500.00	2,547.02	500.00	3,192.78
123		छाबड़ा-I फेज-2 टीपीपी	500.00	2,075.69	500.00	2,338.09
124		कालीसिंध टीपीएस	1,200.00	7,144.53	1,200.00	6,109.58
125	राजस्थान	अडानी पावर लिमिटेड कवाई टीपीपी	1,320.00	8,345.81	1,320.00	8,920.29
126		कोटा टीपीएस	1,240.00	6,904.60	1,240.00	7,979.25
127		सूरतगढ़ स्टेशन	1,320.00	4,474.19	1,320.00	4,683.88
128		सूरतगढ़ टीपीएस	1,500.00	3,721.27	1,500.00	6,474.04
129		आईटीपीसीएल टीपीपी	1,200.00	3,093.68	1,200.00	2,302.51
130		मेटूर टीपीएस	840.00	4,795.92	840.00	5,395.76
131		मेटूर टीपीएस - II	600.00	2,763.78	600.00	3,000.69
132		मुथियारा टीपीपी	1,200.00	1,221.72	1,200.00	2,349.99
133		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1,830.00	7,868.89	1,830.00	8,574.92
134	तमिलनाडु	एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	1,000.00	4,182.47	1,000.00	5,930.01
135		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00	0.00	300.00	0.00
136		तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	525.00	0.00	525.00	922.46
137		तूतीकोरिन टीपीएस	1,050.00	4,962.60	1,050.00	5,717.92
138		वल्लूर टीपीपी	1,500.00	7,913.49	1,500.00	9,566.74
139		भद्राद्री टीपीपी	1,080.00	5,098.49	1,080.00	6,136.87
140		काकतीय टीपीएस	1,100.00	7,141.46	1,100.00	7,570.14
141		कोठागुड्डेम टीपीएस (नया)	1,000.00	6,376.97	1,000.00	7,184.59
142	तेलंगाना	कोठागुड्डेम टीपीएस (फेज-7)	800.00	5,856.82	800.00	4,211.26
143		रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50	273.39	62.50	271.26
144		रामागुंडम एसटीपीएस	2,600.00	17,450.00	2,600.00	16,059.37
145		सिंगरेनी टीपीपी	1,200.00	9,352.93	1,200.00	9,304.71
146		अनपरा सी टीपीएस	1,200.00	8,270.56	1,200.00	8,129.22
147		अनपरा टीपीएस	2,630.00	17,428.19	2,630.00	18,347.23
148		बरखेड़ा टीपीएस	90.00	200.16	90.00	290.68
149		दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820.00	5,723.77	1,820.00	10,703.99
150		हरदुआगंज टीपीएस	1,265.00	1,528.65	1,265.00	5,660.07
151		खंभरखेड़ा टीपीएस	90.00	199.94	90.00	262.15
152	उत्तर प्रदेश	कुंदरकी टीपीएस	90.00	280.07	90.00	319.34
153		ललितपुर टीपीएस	1,980.00	9,551.59	1,980.00	11,334.39
154		मकसूदपुर टीपीएस	90.00	198.40	90.00	291.60
155		मेजा एसटीपीपी	1,320.00	7,572.83	1,320.00	7,366.82
156		ओबरा टीपीएस	1,094.00	4,644.41	1,000.00	5,591.02
157		परिछा टीपीएस	1,140.00	3,708.94	1,140.00	5,198.64

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			2021-22		2022-23	
158	पश्चिम बंगाल	प्रयागराज टीपीपी	1,980.00	11,656.38	1,980.00	12,509.99
159		रिहंद एसटीपीएस	3,000.00	22,406.34	3,000.00	23,368.30
160		रोसा टीपीपी फेज -I	1,200.00	5,773.63	1,200.00	7,511.05
161		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000.00	14,453.81	2,000.00	15,332.74
162		टांडा टीपीएस	1,760.00	8,616.41	1,760.00	10,039.63
163		ऊंचाहार टीपीएस	1,550.00	8,242.66	1,550.00	8,615.27
164		उतरौला टीपीएस	90.00	242.19	90.00	282.86
165		बकरेस्वर टीपीएस	1,050.00	8,288.17	1,050.00	8,497.25
166		बंदेल टीपीएस	330.00	1,730.12	270.00	1,855.19
167		बज बज टीपीएस	750.00	5,562.04	750.00	5,330.70
168		दिशेरगढ़ टीपीपी	12.00	0.00	12.00	43.50
169		डीपीएल टीपीएस	550.00	2,567.62	550.00	2,707.16
170		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1,000.00	6,138.47	1,000.00	7,096.23
171		दुर्गापुर टीपीएस	210.00	215.11	-	-
172		फरक्का स्टेशन	2,100.00	12,421.57	2,100.00	12,402.37
173		हल्दिया टीपीपी	600.00	4,276.69	600.00	4,219.33
174		हिरण्मय टीपीपी	300.00	1,110.66	300.00	1,878.54
175		कोलाघाट टीपीएस	1,260.00	4,271.63	840.00	4,970.39
176	मेजिया टीपीएस	2,340.00	14,599.25	2,340.00	15,668.23	
177	रघुनाथपुर टीपीपी	1,200.00	6,081.72	1,200.00	5,641.39	
178	सागरदिघी टीपीएस	1,600.00	11,885.63	1,600.00	12,529.57	
179	संतालडीह टीपीएस	500.00	3,904.06	500.00	4,001.79	
180	दक्षिणी नॉर्थ टीपीएस	135.00	164.03	135.00	635.69	
181	टीटागढ़ टीपीएस	240.00	0.00	240.00	0.00	
कुल योग			2,04,559.50	10,41,487.43	2,05,235.50	11,45,907.58
ख. लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन						
1	गुजरात	अक्रिमोटा लिग्नाइट टीपीएस	250.00	589.71	250.00	821.94
2		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500.00	1656.68	500.00	1340.41
3		कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	150.00	508.76	150.00	659.73
4		सूरत लिग्नाइट टीपीएस	500.00	2928.87	500.00	2904.27
5	राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट	250.00	1627.84	250.00	1716.03
6		लड़की टीपीएस	250.00	0.00	250.00	0.00
7		जालिपा कपूर्दी टीपीपी	1080.00	7134.19	1080.00	7285.68
8	तमिलनाडु	नेवेली (एक्सटेंशन) टीपीएस	420.00	3266.37	420.00	3114.00
9		नेवेली न्यू टीपीपी	1000.00	6177.93	1000.00	7156.19
10		नेवेली टीपीएस-II	1470.00	9623.91	1470.00	8000.26
11		नेवेली टीपीएस -II एक्सपेंशन	500.00	2041.50	500.00	1972.52
12		नेवेली टीपीएस (जेड)	250.00	1538.28	250.00	1217.31
लिग्नाइट आधारित उप-योग			6620.00	37094.04	6620.00	36188.34
कुल योग			2,11,179.50	10,78,581.47	2,11,855.50	11,82,095.92

वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य-वार और कोयला एवं लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन-वार उत्पादन डेटा का विवरण ।

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	
			वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		
क. कोयला आधारित विद्युत स्टेशन							
1	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवाय टीपीएस	1,600.00	7,127.55	1,600.00	7,228.27	
2		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1,760.00	11,061.93	1,760.00	8,330.96	
3		पैनमपुरम टीपीपी	1,320.00	10,302.97	1,320.00	8,992.83	
4		रायलसीमा टीपीएस	1,650.00	6,408.90	1,650.00	2,373.87	
5		एसजीपीएल टीपीपी	1,320.00	8,403.69	1,320.00	9,270.13	
6		सिम्हाद्री	2,000.00	10,649.71	2,000.00	8,679.00	
7		सिम्हापुरी टीपीएस	600.00	0.00	600.00	0.00	
8		थम्मिनापट्टनम टीपीएस	300.00	0.00	300.00	126.83	
9		वाईजैग टीपीपी	1,040.00	2,961.32	1,040.00	1,143.82	
10	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	750.00	3,929.96	750.00	2,976.74	
11	बिहार	बरौनी टीपीएस	710.00	228.69	710.00	1,362.95	
12		बाढ़ II	1,320.00	8,219.09	1,320.00	7,803.80	
13		कहलगांव टीपीएस	2,340.00	16,504.46	2,340.00	13,231.15	
14		मुजफ्फरपुर टीपीएस	610.00	2,904.66	610.00	2,468.93	
15		नबीनगर एसटीपीपी	660.00	2,616.70	1,320.00	4,734.79	
16		नबीनगर टीपीपी	750.00	4,887.16	750.00	4,264.52	
17		अकलतारा टीपीएस	1,800.00	10,309.80	1,800.00	10,475.04	
18		अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ टीपीपी	600.00	483.99	600.00	2,877.03	
19	छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीएस	600.00	3,497.96	600.00	3,781.65	
20		बांदाखार टीपीपी	300.00	2,062.18	300.00	2,090.95	
21		बारादरहा टीपीएस	1,200.00	6,439.02	1,200.00	8,073.35	
22		भिलाई टीपीएस	500.00	2,745.97	500.00	3,209.98	
23		बिंजकोट टीपीपी	600.00	2,683.49	600.00	1,866.84	
24		चकबुरा टीपीपी	30.00	235.35	30.00	204.38	
25		डीएसपीएम टीपीएस	500.00	3,847.87	500.00	3,336.85	
26		कसाईपल्ली टीपीपी	270.00	1,695.85	270.00	1,404.55	
27		कटघोरा टीपीपी	35.00	0.00	35.00	0.00	
28		कोरबा-III	240.00	1,308.74	-	-	
29		कोरबा एसटीपीएस	2,600.00	19,793.34	2,600.00	21,332.59	
30		कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1,340.00	8,699.78	1,340.00	9,379.24	
31		लारा टीपीपी	800.00	2,752.24	1,600.00	6,096.63	
32		मारवा टीपीएस	1,000.00	4,356.14	1,000.00	4,542.20	
33		नवापारा टीपीपी	600.00	1,926.84	600.00	1,963.01	
34		ओपी ज़िंदल टीपीएस	1,000.00	2,341.80	1,000.00	4,397.99	
35		पथडी टीपीपी	600.00	3,480.50	600.00	4,568.84	
36		अडानी पावर लिमिटेड रायपुर टीपीपी	1,370.00	5,831.21	1,370.00	6,540.99	
37		रतिजा टीपीएस	100.00	714.20	100.00	483.68	
38		सलोरा टीपीपी	135.00	0.00	135.00	0.00	
39		सीपत एसटीपीएस	2,980.00	22,530.32	2,980.00	23,524.78	
40		एसवीपीएल टीपीपी	63.00	313.10	63.00	0.00	
41		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25.00	0.00	25.00	0.00	
42		तमनार टीपीपी	2,400.00	7,119.61	2,400.00	8,667.68	
43		उचपिंडा टीपीपी	1,440.00	2,822.97	1,440.00	4,820.53	
44		गुजरात	गांधी नगर टीपीएस	630.00	1,709.10	630.00	1,464.48
45			मुंद्रा टीपीएस	4,620.00	29,825.01	4,620.00	25,664.98
46			मुंद्रा यूएमटीपीपी	4,000.00	26,495.39	4,000.00	26,208.53
47	साबरमती (डीएफ स्टेशन)		362.00	2,317.99	362.00	1,403.80	

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21	
48		सलाया टीपीपी	1,200.00	4,589.86	1,200.00	4,048.87
49		सिक्का आरईपी टीपीएस	500.00	2,711.25	500.00	1,836.22
50		उकाई टीपीएस	1,110.00	5,781.18	1,110.00	4,601.92
51		वानाकबोरी टीपीएस	2,270.00	5,581.26	2,270.00	6,408.75
52	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1,500.00	3,842.82	1,500.00	3,654.73
53		महात्मा गांधी टीपीएस	1,320.00	5,888.87	1,320.00	4,873.03
54		पानीपत टीपीएस	920.00	1,972.80	710.00	1,218.49
55		राजीव गांधी टीपीएस	1,200.00	2,316.12	1,200.00	1,636.91
56		यमुना नगर टीपीएस	600.00	2,741.24	600.00	2,611.42
57		झारखंड	बोकारो 'बी' टीपीएस	210.00	94.03	210.00
58	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सप्रेस		500.00	2,689.99	500.00	3,271.47
59	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस		630.00	3,425.71	500.00	3,268.59
60	जोजोबेरा टीपीएस		240.00	1,464.39	240.00	1,417.27
61	कोडरमा टीपीपी		1,000.00	6,459.72	1,000.00	7,508.95
62	महादेव प्रसाद एसटीपीपी		540.00	3,029.42	540.00	3,113.78
63	मैथन आरबी टीपीपी		1,050.00	6,488.20	1,050.00	6,383.36
64	तेनुघाट टीपीएस		420.00	2,420.62	420.00	2,237.96
65	कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	1,700.00	4,050.40	1,700.00	3,094.68
66		कुडगी एसटीपीपी	2,400.00	4,604.36	2,400.00	4,711.33
67		रायचूर टीपीएस	1,720.00	8,532.64	1,720.00	3,927.85
68		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00	1,130.77	260.00	1,007.73
69		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00	1,863.53	600.00	1,389.74
70		अडानी पावर लिमिटेड उडुपी टीपीपी	1,200.00	3,277.94	1,200.00	2,350.12
71		येरमारस टीपीपी	1,600.00	376.78	1,600.00	3,379.79
72	मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	210.00	1,691.61	210.00	1,632.45
73		अनूपपुर टीपीपी	1,200.00	6,267.72	1,200.00	6,654.31
74		बीना टीपीएस	500.00	2,513.68	500.00	1,686.39
75		गाडरवारा टीपीपी	800.00	1,076.12	1,600.00	4,497.00
76		खरगोन एसटीपीपी	1,320.00	959.11	1,320.00	4,340.13
77		महान टीपीपी	1,200.00	3,281.04	1,200.00	2,889.61
78		निगरी टीपीपी	1,320.00	6,356.69	1,320.00	8,106.40
79		निवाड़ी टीपीपी	90.00	243.25	90.00	170.23
80		संजय गांधी टीपीएस	1,340.00	6,604.20	1,340.00	8,616.32
81		सासन यूएमटीपीपी	3,960.00	33,340.92	3,960.00	33,387.69
82		सतपुड़ा टीपीएस	1,330.00	5,276.35	1,330.00	4,505.80
83		शिवनी टीपीपी	600.00	2,901.09	600.00	3,677.23
84		श्री सिंगाजी टीपीपी	2,520.00	8,647.04	2,520.00	5,928.37
85		विंध्याचल एसटीपीएस	4,760.00	35,659.46	4,760.00	36,997.85
86	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1,350.00	3,196.28	1,350.00	2,835.89
87		बेला टीपीएस	270.00	0.00	270.00	0.00
88		भुसावळ टीपीएस	1,210.00	5,317.27	1,210.00	4,801.30
89		बुटीबोरी टीपीपी	600.00	0.00	600.00	0.00
90		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2,920.00	16,028.86	2,920.00	16,097.12
91		दहानु टीपीएस	500.00	3,347.43	500.00	3,206.13
92		धारीवाल टीपीपी	600.00	3,378.10	600.00	4,228.79
93		जीईपीएल टीपीपी फेज - I	120.00	0.00	120.00	0.00
94		जीएमआर वरोरा टीपीएस	600.00	4,138.84	600.00	3,934.82
95		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1,200.00	7,868.77	1,200.00	6,199.03
96		खापरखेड़ा टीपीएस	1,340.00	7,260.45	1,340.00	7,930.84
97		कोराडी टीपीएस	2,400.00	9,466.38	2,400.00	8,430.42
98		मौदा टीपीएस	2,320.00	10,403.74	2,320.00	6,694.84
99		मिहान टीपीएस	246.00	0.00	246.00	0.00
100		नासिक (पी) टीपीएस	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
101		नासिक टीपीएस	630.00	2,359.70	630.00	737.11
102		पारस टीपीएस	500.00	2,773.98	500.00	3,368.79
103	परली टीपीएस	750.00	2,434.21	750.00	2,408.06	

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21	
104		शिरपुर टीपीपी	150.00	0.00	150.00	0.00
105		सोलापुर एसटीपीएस	1,320.00	817.22	1,320.00	3,586.06
106		अडानी पावर लिमिटेड तिरोदा टीपीपी	3,300.00	23,254.40	3,300.00	18,049.49
107		ट्रॉम्बे टीपीएस	750.00	4,758.17	750.00	3,586.29
108		वर्धा वरोरा टीपीपी	540.00	198.36	540.00	2,078.85
109		दारलीपाली एसटीपीएस	800.00	421.11	800.00	4,775.89
110		डेरंग टीपीपी	1,200.00	5,199.79	1,200.00	5,936.33
111		आईबी वैली टीपीएस	1,740.00	6,495.79	1,740.00	8,643.13
112		कामलंगा टीपीएस	1,050.00	5,865.43	1,050.00	7,101.19
113		स्टरलाइट टीपीपी	1,200.00	585.71	1,200.00	3,033.78
114		तालचेर (पुराना) टीपीएस	460.00	3,378.28	460.00	3,405.51
115		तालचेर एसटीपीएस	3,000.00	19,261.20	3,000.00	21,897.14
116		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350.00	0.00	350.00	0.00
117		जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	920.00	915.99	920.00	905.76
118		गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540.00	1,312.74	540.00	1,282.71
119		राजपुरा टीपीपी	1,400.00	8,757.21	1,400.00	7,951.49
120		रोपड़ टीपीएस	840.00	1,051.62	840.00	883.52
121		तलवंडी साबो टीपीपी	1,980.00	8,864.11	1,980.00	6,971.31
122		छाबड़ा टीपीपी	2,320.00	13,515.68	2,320.00	14,421.24
123		कालीसिंध टीपीएस	1,200.00	5,728.09	1,200.00	6,089.98
124		अडानी पावर लिमिटेड कवाई टीपीपी	1,320.00	8,000.29	1,320.00	8,590.50
125		कोटा टीपीएस	1,240.00	6,513.16	1,240.00	5,192.46
126		सूरतगढ़ टीपीएस	2,160.00	4,690.34	2,160.00	2,443.87
127		आईटीपीसीएल टीपीपी	1,200.00	7,235.28	1,200.00	4,819.06
128		मेदूर टीपीएस	840.00	4,619.22	840.00	3,544.11
129		मेदूर टीपीएस - II	600.00	2,596.36	600.00	1,418.37
130		मुथियारा टीपीपी	1,200.00	3,559.82	1,200.00	2,297.10
131		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1,830.00	9,047.66	1,830.00	6,458.77
132		तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1,000.00	4,844.41	1,000.00	5,290.62
133		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00	0.00	300.00	0.00
134		तूतीकोरिन टीपीएस	1,050.00	5,303.36	1,050.00	4,132.38
135		वल्लूर टीपीपी	1,500.00	5,674.72	1,500.00	4,369.00
136		भद्राद्री टीपीपी	-	-	810.00	1,670.75
137		काकतीय टीपीएस	1,100.00	7,554.74	1,100.00	6,322.47
138		कोठागुडेम टीपीएस	420.00	2,295.57	-	-
139		कोठागुडेम टीपीएस (नया)	1,000.00	7,167.84	1,000.00	6,316.18
140		कोठागुडेम टीपीएस (फेज-7)	800.00	3,578.51	800.00	6,109.56
141		रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50	398.09	62.50	285.95
142		रामागुंडम एसटीपीएस	2,600.00	17,126.05	2,600.00	16,711.55
143		सिंगरेनी टीपीपी	1,200.00	9,226.98	1,200.00	7,344.30
144		अनपरा सी टीपीएस	1,200.00	7,539.56	1,200.00	8,666.50
145		अनपरा टीपीएस	2,630.00	17,047.66	2,630.00	15,279.04
146		बरखेड़ा टीपीएस	90.00	90.84	90.00	184.19
147		दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820.00	6,546.43	1,820.00	3,957.75
148		हरदुआगंज टीपीएस	605.00	3,274.14	605.00	2,142.65
149		खंभरखेड़ा टीपीएस	90.00	79.81	90.00	188.10
150		कुंदरकी टीपीएस	90.00	125.18	90.00	246.58
151		ललितपुर टीपीएस	1,980.00	7,174.91	1,980.00	7,289.49
152		मकसूदपुर टीपीएस	90.00	102.56	90.00	190.83
153		मेजा एसटीपीपी	660.00	1,050.67	1,320.00	4,054.65
154		ओबरा टीपीएस	1,094.00	3,695.92	1,094.00	4,698.93
155		परिछा टीपीएस	1,140.00	3,835.22	1,140.00	3,677.32
156		प्रयागराज टीपीपी	1,980.00	9,120.88	1,980.00	10,751.13
157		रिहंद एसटीपीएस	3,000.00	23,359.27	3,000.00	23,398.68
158		रोसा टीपीपी फेज -I	1,200.00	6,039.70	1,200.00	6,751.18
159		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000.00	15,331.89	2,000.00	14,959.51

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
			वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21	
160	पश्चिम बंगाल	टांडा टीपीएस	1,100.00	3,958.39	1,760.00	5,738.68
161		ऊंचाहार टीपीएस	1,550.00	8,526.46	1,550.00	7,156.40
162		उतरौला टीपीएस	90.00	119.42	90.00	261.35
163		बकरेस्वर टीपीएस	1,050.00	7,002.77	1,050.00	7,896.57
164		बंदेल टीपीएस	330.00	860.04	330.00	1,170.80
165		बज बज टीपीएस	750.00	5,798.13	750.00	5,422.69
166		डीपीएल टीपीएस	550.00	2,233.33	550.00	2,787.96
167		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1,000.00	6,319.02	1,000.00	5,780.98
168		दुर्गापुर टीपीएस	210.00	437.85	210.00	135.82
169		फरक्का स्टेशन	2,100.00	13,132.63	2,100.00	11,928.60
170		हल्दिया टीपीपी	600.00	4,430.09	600.00	4,224.94
171		हिरण्मय टीपीपी	300.00	10.02	300.00	433.86
172		कोलाघाट टीपीएस	1,260.00	2,871.42	1,260.00	1,769.36
173		मेजिया टीपीएस	2,340.00	12,540.81	2,340.00	12,828.81
174		रघुनाथपुर टीपीपी	1,200.00	5,030.71	1,200.00	5,225.69
175		सागरदिधी टीपीएस	1,600.00	6,695.31	1,600.00	9,596.12
176		संतालडीह टीपीएस	500.00	3,693.99	500.00	3,442.98
177		दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस	135.00	339.27	135.00	89.89
178	टीटागढ़ टीपीएस	240.00	0.00	240.00	0.00	
कुल योग			1,99,272.50	9,61,218.23	2,02,662.50	9,50,937.55
ख. लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन						
1	गुजरात	अक्रिमोटा लिग्नाइट टीपीएस	250.00	740.25	250.00	435.05
2		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500.00	596.27	500.00	1,201.05
3		कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	290.00	883.25	150.00	809.43
4		सूरत लिग्नाइट टीपीएस	500.00	3,359.81	500.00	2,975.71
5	राजस्थान	बारसिंगसर लिग्नाइट	250.00	1,528.01	250.00	1,451.70
6		गिरल टीपीएस	250.00	0.00	250.00	0.00
7		जालीपा कपूर्दी टीपीपी	1,080.00	5,875.54	1,080.00	7,026.83
8	तमिलनाडु	नेवेली (एक्शन) टीपीएस	420.00	3,328.54	420.00	2,786.96
9		नेवेली न्यू टीपीपी	500.00	547.87	1,000.00	3,349.84
10		नेवेली टीपीएस-I	500.00	2,711.74	0.00*	531.64
11		नेवेली टीपीएस-II	1,470.00	10,356.22	1,470.00	6,955.54
12		नेवेली टीपीएस-II एक्सपेंशन	500.00	1,613.71	500.00	2,095.81
13		नेवेली टीपीएस(जेड)	250.00	1,437.55	250.00	886.12
लिग्नाइट आधारित उप-योग			6,760.00	32,978.76	6,620.00	30,505.68
कुल योग			2,06,032.50	9,94,196.99	2,09,282.50	9,81,443.23

(*) नेवेली टीपीएस-I की सभी यूनिट 30.09.2020 तक रिटायर हो गईं। इसलिए 31.03.2021 को मॉनिटर की गई क्षमता 0 मेगावाट है।

ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन और अपशिष्ट निगरानी प्रणालियों वाले विद्युत संयंत्र (ओसीईएमएस)

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
1	केटीए पावर्स प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	झुंझुनू
2	जसरासर ग्रीन पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	नोखा
3	खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	खुर्जा
4	सरदारशहर कृषि ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	सरदार शाह
5	टीएनए रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	भद्र
6	केपीसी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसी-जीपीसीएल)	कर्नाटक	बिदादी
7	नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन - I	तमिलनाडु	चेन्नई
8	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, गैस टरबाइन पावर स्टेशन , एमएसपीजीसीएल, उरण ।	महाराष्ट्र	उरण
9	रोजा पावर सप्लाइ कंपनी लिमिटेड स्टेज-2	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
10	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सज लिमिटेड.	झारखंड	सरायकेला खरसावां
11	नाभा पावर लिमिटेड,	पंजाब	राजपुरा
12	प्रगति पावर स्टेशन	दिल्ली	नई दिल्ली
13	बोकारो पावर सप्लाइ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	बोकारो
14	जौरोमिरा एनर्जी लिमिटेड तिरुनलवेली	तमिलनाडु	तिरुनलवेली
15	मैथन पावर लिमिटेड	झारखंड	धनबाद
16	ग्लोबल पावर टेक इन्विपमेंट्स लिमिटेड	तमिलनाडु	तिरुवन्नामलाई
17	इंड-बराथ पावर जेनकॉम लिमिटेड	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
18	जे.के.पावर लिमिटेड (जेके सीमेंट) - चित्तौड़गढ़	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
19	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टीपीएस-2	तमिलनाडु	कुनानकुरुची
20	रघु रामा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
21	अडानी पावर लिमिटेड [पूर्व में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अडानी दहानु थर्मल पावर स्टेशन (एडीटीपीएस)/ (मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दहानु थर्मल पावर स्टेशन)]	महाराष्ट्र	पालघर
22	साई रीजेंसी पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
23	साई वर्धा पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
24	टेरा एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु	कुड्डालोर
25	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड	तमिलनाडु	करूर
26	झज्जर पावर लिमिटेड	हरियाणा	झज्जर
27	एसीसी क्यमोर 25 मेगावाट यूनिट 1	मध्य प्रदेश	काइमोर
28	सीईएससी लिमिटेड - बज बज जनरेटिंग स्टेशन	पश्चिम बंगाल	पुजाली
29	मेसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिशेरगढ़ पावर सप्लाइ कंपनी लिमिटेड)	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
30	दक्षिणी जनरेटिंग स्टेशन	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
31	टीटागढ़ जनरेटिंग स्टेशन	पश्चिम बंगाल	टीटागढ़
32	नावा लिमिटेड (पहले नव भारत वैंचर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	उड़ीसा	मेरामंडली
33	सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (आरआरवीयूएनएल)	राजस्थान	सूरतगढ़
34	साई लीलागर पावर लिमिटेड.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
35	श्री ज्योति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	हरियाणा	भिवानी
36	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश	मगधर
37	सासन पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
38	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पावर प्लांट डिवीजन रेणुकूट	उत्तर प्रदेश	रेणुकूट
39	आर्के एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु	रामनाद

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
40	कोरोमंडल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
41	बजाज एनर्जी पावर लिमिटेड_बरखेड़ा	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
42	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड_कुंदरकी,गोंडा	उत्तर प्रदेश	गोंडा
43	बजाज एनर्जी पावर लिमिटेड_खंबरखेड़ा	उत्तर प्रदेश	खंबारखेड़ा
44	बजाज एनर्जी पावर लिमिटेड, उतरौला, बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	उतरौला
45	बजाज एनर्जी पावर लिमिटेड_मकसूदपुर	उत्तर प्रदेश	मकसूदपुर
46	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड विक्रम सीमेंट	मध्य प्रदेश	विक्रम नगर
47	विदर्भ आईइंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड - बुट्टीबोरी	महाराष्ट्र	नागपुर
48	मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु	मेट्टूर
49	मेसर्स नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज II,	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
50	ओपीजी विद्युत उत्पादन	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
51	पीपीएनपावर	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
52	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाइमेर) लिमिटेड जिसे पहले राज वेस्ट पावर के नाम से जाना जाता था	राजस्थान	बाइमेर
53	रोजा पावर सप्लाइ कंपनी लिमिटेड स्टेज 1	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
54	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़	चंपा
55	श्रीराम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु	तंजावुर
56	श्रीराम पावरजेन लिमिटेड	तमिलनाडु	डिंडीगुल
57	सिनर्जी शक्ति रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु	पोचमपल्ली
58	तलवंडी साबो पावर लिमिटेड	पंजाब	भटिंडा
59	टीसीपी पावर प्लांट गुम्मिडिपूंड़ी	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
60	तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु	थुथुकुडी
61	जिंदल पावर लिमिटेड - रायगढ़	छत्तीसगढ़	रायगढ़
62	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	बर्दवान
63	द रेमंड लिमिटेड	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
64	हनुमान एग्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़	नवापारा-राजिम
65	एसआरएफ लिमिटेड	राजस्थान	भिवाड़ी
66	त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट, नीपको लिमिटेड	त्रिपुरा	मोनार्कक
67	अगरतला गैस टरबाइन कंबाइन साइकिल पावर प्लांट, नीपको लिमिटेड	त्रिपुरा	अगरतला
68	गुलबर्गा पावर प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक	गुलबर्गा
69	अमरकणाटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	चाचाई
70	भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	कडपा
71	बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड	राजस्थान	बांसवाड़ा
72	छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान	छाबड़ा
73	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	बड़ादरहा
74	जीएमआर एमको एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	वरोरा
75	जेम्को एनर्जी लिमिटेड	हरियाणा	भिवानी
76	गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट	पंजाब	बठिंडा
77	ग्रासिम ऊर्जा केंद्र 2	मध्य प्रदेश	उज्जैन
78	टोरेंट पावर लिमिटेड सुगेन मेगा पावर प्लांट	गुजरात	सूरत
79	टोरेंट पावर लिमिटेड डीजीईएन मेगा पावर प्रोजेक्ट	गुजरात	भरुच
80	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना - दादरी	उत्तर प्रदेश	दादरी
81	एसीसी लिमिटेड- वाडी सीमेंट वर्क्स सीपीपी	कर्नाटक	कलबुर्गी
82	जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	जबलपुर
83	जेपी निग्री सुपर थर्मल पावर प्लांट 2 x 660 मेगावाट (जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की एक इकाई)	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
84	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड 860 मेगावाट विद्युत संयंत्र	कर्नाटक	बेल्लारी
85	कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन पुराना स्टेशन	तेलंगाना	पलवंचा
86	स्टार सीमेंट मेघालय लिमिटेड (43 मेगावाट टीपीपी) (पहले	मेघालय	जोवाई

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
	मेघालय पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)		
87	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा
88	प्रगति - III संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना, बवाना	दिल्ली	नई दिल्ली
89	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, समालकोट	आंध्र प्रदेश	समालकोट
90	राजस्थान कपड़ा और बुनाई मिल्स	राजस्थान	भवानी मंडी
91	आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी
92	नितिन स्पिनर्स - थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान	हमीरगढ़
93	कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन	तेलंगाना	पालोचा
94	टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	नागपुर
95	वर्धमान फैब्रिक्स	मध्य प्रदेश	बुधनी
96	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	नागपुर
97	ईस्टर्न इंडिया पावरटेक लिमिटेड - गिददी	झारखंड	गिददी -सी
98	वर्धमान यार्न्स-पावर डिवीजन	मध्य प्रदेश	मंडीदीप
99	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्व रूप से जीईबी, (वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन)	गुजरात	गल्लेश्वर
100	उषा मार्टिन लिमिटेड, थर्मल पावर प्लांट	झारखंड	रांची
101	काकतीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट - स्टेज-II	तेलंगाना	वारंगल
102	टीएक्यूए नेवेली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	कुड्डालोर
103	एआरएस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
104	हिमत्सिंगका कैप्टिव पावर प्लांट	कर्नाटक	हसन
105	कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान	झालावाड़
106	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
107	मैथन अलॉयज लिमिटेड	मेघालय	शिलांग
108	सुखबीर एगो एनर्जी लिमिटेड.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
109	चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन इकाई	महाराष्ट्र	चंद्रपुर आर
110	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
111	श्याम संचुरी फेरस लिमिटेड	मेघालय	शिलांग
112	वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
113	इंडसिल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	रायपुर
114	एनटीपीसी लिमिटेड फरीदाबाद	हरियाणा	फरीदाबाद
115	एनटीपीसी लिमिटेड कवास गैस पावर प्लांट	गुजरात	सूरत
116	एनटीपीसी लिमिटेड बाढ़ (स्टेज - I, यूनिट - I)	बिहार	पटना
117	एनटीपीसी लिमिटेड अंता गैस पावर स्टेशन	राजस्थान	अन्ता
118	एनटीपीसी टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर
119	एनटीपीसी लिमिटेड रिहंद सुपरथर्मल पावर	उत्तर प्रदेश	रिहंदनगर
120	एनटीपीसी लिमिटेड कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन	बिहार	भागलपुर
121	एनटीपीसी लिमिटेड फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
122	डोंगामहुआ कैप्टिव पावर प्लांट जेएसपीएल	छत्तीसगढ़	रायगढ़
123	ग्रासिम ऊर्जा केंद्र-4_40 मेगावाट	मध्य प्रदेश	उज्जैन
124	एनटीपीसी लिमिटेड सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
125	एनटीपीसी लिमिटेड कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन	छत्तीसगढ़	कोरबा
126	केसोराम सीमेंट्स कैप्टिव पावर प्लांट	तेलंगाना	बसंतनगर
127	कोडरमा थर्मल पावर प्लांट_बांझोडीह	झारखंड	कोडरमा
128	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
129	एमईआईएल अनपरा एनर्जी लिमिटेड (पहले लैंको अनपरा पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	उत्तर प्रदेश	अनपारा
130	नव भारत एनर्जी इंडिया लिमिटेड	तेलंगाना	पालोचा
131	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन_यूनिट 2 और 3	महाराष्ट्र	भुसावल
132	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन_यूनिट 4 और 5	महाराष्ट्र	भुसावल
133	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	हरियाणा	पानीपत

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
134	भूषण एनर्जी लिमिटेड	उड़ीसा	अंगुल
135	असम गैस आधारित बिजली संयंत्र (नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	असम	बोकुलोनी
136	वासवदत्ता सीमेंट पावर प्लांट	कर्नाटक	सेडम
137	एनटीपीसी लिमिटेड रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन	तेलंगाना	ज्योतिनगर
138	एनटीपीसी लिमिटेड लिमिटेड, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मध्य प्रदेश	विंध्यनगर
139	एनटीपीसी लिमिटेड औरैया गैस पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश	औरैया
140	एनटीपीसी लिमिटेड बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	दिल्ली	नई दिल्ली
141	एनटीपीसी लिमिटेड तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन	उड़ीसा	अंगुल
142	एनटीपीसी लिमिटेड मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र	नागपुर
143	एनटीपीसी लिमिटेड सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
144	एनटीपीसी लिमिटेड सीपत सुपर थर्मल पावर	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
145	एनटीपीसी लिमिटेड तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	उड़ीसा	अंगुल
146	एनटीपीसी लिमिटेड झानोर - गंधार गैस पावर प्रोजेक्ट	गुजरात	गांधार
147	एनटीपीसी - राजीव गांधी संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र	केरल	कायमकुलम
148	एनटीपीसी लिमिटेड फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश	रायबरेली
149	कुट्टलम गैस टरबाइन पावर स्टेशन, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
150	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
151	वलुथुर गैस टरबाइन पावर स्टेशन	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
152	मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनवीसीएल) (पहले निरमा लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	राजस्थान	ब्यावर
153	कुट्टलम गैस टरबाइन पावर स्टेशन, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	तमिलनाडु	कुट्टलम
154	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	तमिलनाडु	कुड्डालोर
155	पायनियर पावर लिमिटेड	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
156	हरदुआगंज तापिया विद्युत परियोजना , (2X250 मेगावाट विस्तार परियोजना)	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
157	पनकी थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश	कानपुर
158	ईस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में ईस्ट दिल्ली वेस्ट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	दिल्ली	दिल्ली
159	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड यूनिट II (कैप्टिव को-जनरेशन प्लांट)	तमिलनाडु	मन्नापरई
160	कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	तूतीकोरिन
161	जेके लक्ष्मी सीमेंट - सिरोही पावर प्लांट	राजस्थान	तहसील पिंडवाड़ा
162	जीएमआर कामलंगा एनर्जी लिमिटेड	उड़ीसा	कमलांगा
163	श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (श्री सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई)	छत्तीसगढ़	रायपुर
164	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम), कैप्टिव पावर प्लांट-2	छत्तीसगढ़	भिलाई
165	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड (पी) लिमिटेड.(सीपीपी-II)	उड़ीसा	राउरकेला
166	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	पूर्व मेदिनीपुर
167	इंड-बराथ एनर्जीज (थुथुकुडी) लिमिटेड	तमिलनाडु	थुथुकुडी
168	इंड बराथ थर्मल पावर प्लांट	तमिलनाडु	थुथुकुडी
169	मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन	तमिलनाडु	कांचीपुरम
170	राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट	हरियाणा	खेदड़, बरवाला
171	हीरा पावर एंड स्टील्स लिमिटेड यूनिट-II	छत्तीसगढ़	रायपुर
172	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड-टीएमटी डिवीजन	छत्तीसगढ़	रायपुर
173	रामागुंडम थर्मल स्टेशन (टीएस पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	तेलंगाना	रामगुंडम
174	रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट	आंध्र प्रदेश	कडपा

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
175	सूर्यदेव अलॉयज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
176	इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (80 मेगावाट)	उड़ीसा	चौदवार
177	नरोरा परमाणु पावर स्टेशन एनपीसीआईएल	उत्तर प्रदेश	नरोरा
178	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र	रत्नागिरि
179	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन	झारखंड	चंद्रपुर
180	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात	खानोट
181	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात	तापी
182	उत्तान गैस आधारित पावर स्टेशन	गुजरात	सूरत
183	धुवरन गैस पावर स्टेशन	गुजरात	आनंद
184	सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात	सिक्का
185	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	दिल्ली	दिल्ली
186	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	गुजरात	गांधीनगर
187	सागरदिघी थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल पीडीसीएल	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी
188	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड-नासिक थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र	नासिक
189	औद्योगिक ऊर्जा लिमिटेड - फेज-6	झारखंड	जमशेदपुर
190	हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूसागर पावर डिवीजन	उत्तर प्रदेश	रेणुसागर
191	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	बांधकर
192	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	रतिजा
193	सुधा बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मोहतराई
194	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (आर्यन कोल बेनेफिशियल प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) 30 मेगावाट	छत्तीसगढ़	कसाईपाली
195	डॉ. नरला टाटाराव थर्मल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश	इब्राहिमपत्तनम
196	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़	चंपा
197	एमएमएस स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
198	रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान	जैसलमेर
199	रामको सीमेंट्स लिमिटेड	तमिलनाडु	अरियालुर
200	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजस्थान	धौलपुर
201	थिरुमाकोटाई (के) गैस टरबाइन पावर स्टेशन	तमिलनाडु	थिरुवरुर
202	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट	पंजाब	रूपनगर
203	सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड (पावर)	छत्तीसगढ़	रायपुर
204	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड	गुजरात	वडोदरा
205	इंद्र पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	सूरजपुर
206	इनलैंड पावर लिमिटेड	झारखंड	रांची
207	कालिंदी पावर एंड स्टील लिमिटेड	छत्तीसगढ़	महासमुंद
208	एनआर इस्पात और पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
209	नीरज पावर पी लिमिटेड.	छत्तीसगढ़	सिमगा
210	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड.	छत्तीसगढ़	कोरबा
211	शांति जीडी इस्पात एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	चंपा
212	श्याम वेयरहाउसिंग और पावर प्लांट	छत्तीसगढ़	जांजगीर - चांपा
213	महावीर एनर्जी एंड कोल बेनिफिशियल इंटेलिजेंस लिमिटेड	छत्तीसगढ़	रायगढ़
214	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	त्रिपुरा	पालटाना
215	भुवनेश्वर पावर प्राइवेट लिमिटेड	उड़ीसा	कटक
216	कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस)	राजस्थान	कोटा
217	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	तमिलनाडु	थुथुकुडी
218	अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड	राजस्थान	बारां
219	मेसर्स एएमएनएस खोपोली लिमिटेड (पहले मेसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	महाराष्ट्र	नारिंगी खोपोली
220	आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु	भुवनगिरी तालुक

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
221	बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल	सदाइपुर
222	बंदेल थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	त्रिबेनी
223	एसकेएस पावर जनरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़	खरसिया
224	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड 2*135 मेगावाट	छत्तीसगढ़	चकबुरा
225	अडानी पावर लिमिटेड (पूर्व में रायपुर एनर्जी लिमिटेड)	छत्तीसगढ़	रायखेड़ा
226	इको टेक पेपर्स	असम	गुवाहाटी
227	अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड)	छत्तीसगढ़	मारवा
228	सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	थम्मिनापट्टनम
229	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड.	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
230	ऑरो एनर्जी	तमिलनाडु	तंजावुर
231	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (पावर प्लांट)	राजस्थान	कोटा
232	वेस्ट बोकारो कोलियरी पावर प्लांट	झारखंड	रामगढ़
233	महान एनर्जन लिमिटेड (पहले एस्सार पावर एमपी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	मध्य प्रदेश	बंधोरा
234	एसबीक्यू स्टील्स लिमिटेड कैप्टिव पावर प्लांट्स	आंध्र प्रदेश	अंकुलपतुरु
235	सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले गुजरातपगुथनएनर्जीकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	गुजरात	भरुच
236	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	उड़ीसा	अंगुल
237	परिछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	उत्तर प्रदेश	झांसी
238	सीतापुरम पावर लिमिटेड	तेलंगाना	सूर्यापेट
239	मालू पेपर मिल लिमिटेड (न्यूज़ प्रिंट/राइटिंग प्रिंटिंग डिवीजन यूनिट-III)	महाराष्ट्र	नागपुर
240	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	हल्दिया
241	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़	कोरबा
242	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, एमपी पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	बेतुल
243	ओपीजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
244	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व), कोरबा	छत्तीसगढ़	कोरबा
245	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन	झारखंड	बोकारो
246	वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बीकानेर
247	दक्षिणी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
248	वेदांता लिमिटेड थर्मल पावर डिवीजन	तमिलनाडु	थुथुकुडी
249	टाटा केमिकल लिमिटेड मीठापुर	गुजरात	मीठापुर
250	श्री अंबिका शुगर्स लिमिटेड (पावर डिवीजन)	तमिलनाडु	कुड्डालोर
251	ब्रह्मपुरम डीजल पावर प्लांट	केरल	एर्नाकुलम
252	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट)	गुजरात	वडोदरा
253	जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड	पंजाब	तरनतारन
254	टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (1x300 मेगावाट)	छत्तीसगढ़	रायगढ़
255	ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	ललितपुर
256	लैंको तंजौर पावर कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु	तिरुविदैमरुथुर तालुक
257	रतनइंडिया पावर लिमिटेड, अमरावती	महाराष्ट्र	अमरावती
258	आईजीएसटीपीपी अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हरियाणा	झज्जर
259	शेषशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, यूनिट: तिरुनेलवेली (को-जेन संयंत्र)	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
260	डिवाइन विद्युत लिमिटेड	झारखंड	पालगाम
261	इमामी सीमेंट लिमिटेड , बलौदा बाजार	छत्तीसगढ़	बलौदा बाजार
262	इंडो रामा सिंथेटिक्स लिमिटेड.	महाराष्ट्र	बुटिबोरी

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
263	जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट	मध्य प्रदेश	बीना
264	कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान	टोंक
265	खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I से IV	महाराष्ट्र	सावनेर
266	खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट 5	महाराष्ट्र	खापरखेड़ा
267	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, डब्ल्यूबीपीडीसीएल	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
268	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र	नागपुर
269	एमएसपीजीसीएल-पारस थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र	पारस
270	वेदांता लिमिटेड (थर्मल पावर प्लांट)	उड़ीसा	झारसुगुड़ा
271	सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड (प्रोजेक्ट 2) (पहले सेम्बकॉर्प गायत्री पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	आंध्र प्रदेश	मथुर
272	टोरेट पावर लिमिटेड	गुजरात	अहमदाबाद
273	उर्जाकुर श्री दत्ता पावर कंपनी लिमिटेड.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
274	ऊर्जाकुर श्री तात्यासाहेब कोरे वर्णा पावर कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पन्हाला
275	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	झारखंड	जमशेदपुर
276	कावेरी गैस पावर लिमिटेड	तमिलनाडु	माइलादुवयी
277	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड- कोरबा (पूर्व) डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन कोरबा (पूर्व), जिला कोरबा	छत्तीसगढ़	कोरबा
278	एम्पी पावर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	नायडूपेटा
279	मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर
280	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (पहले कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	गुजरात	मुंद्रा
281	दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट	हरियाणा	यमुनानगर
282	मंगलम सीमेंट लिमिटेड_पावर प्लांट	राजस्थान	कोटा
283	अनिमेष इस्पात प्रा. लिमिटेड, जिसे पहले साउथ एशियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	छत्तीसगढ़	बलौदा बाजार
284	वंदना ग्लोबल लिमिटेड, (सीपीपी)	छत्तीसगढ़	रायगढ़
285	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	राजस्थान	बीकानेर
286	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
287	अनपरा थर्मल पावर प्लांट	उत्तर प्रदेश	अनपरा
288	सहेली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	कुट्टलम
289	एनटीपीसी लिमिटेड कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	कर्नाटक	बीजापुर
290	एनटीपीसी लिमिटेड सोलापुर सुपर थर्मल पावर	महाराष्ट्र	सोलापुर
291	रमणीक पावर एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	बालाघाट
292	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात	भरुच
293	जगदंबा पावर एंड अलॉयज लिमिटेड	छत्तीसगढ़	सिलतारा
294	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको)-थर्मल पावर स्टेशन , परली यूनिट 6, 7	महाराष्ट्र	परली
295	तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	झारखंड	बोकारो
296	भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	गुजरात	भद्रेश्वर
297	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको)-थर्मल पावर स्टेशन, परली यूनिट 8	महाराष्ट्र	परली
298	संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
299	श्री दामोदरम संजीवाय थर्मल पावर स्टेशन पावर स्टेशन (आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	नेलातुर गाँव
300	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	गुजरात	मोटा मंधा
301	एएमएनएस पावर हजीरा लिमिटेड पूर्व में (एस्सार पावर हजीरा लिमिटेड (ईफेजएल))	गुजरात	हजीरा

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
302	एसीसी लिमिटेड, काइमोर , 25 मेगावाट सीपीपी (यूनिट 2)	मध्य प्रदेश	काइमोर
303	एनएलसी लिमिटेड टीपीएस-II विस्तार	तमिलनाडु	नेवेली
304	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का थर्मल पावर प्लांट	गुजरात	कोडिनार
305	आर्सेलर मितल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (सीपीपी)	उड़ीसा	पारादीप
306	रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	कर्नाटक	रायचूर
307	कोझिकोड डीजल पावर प्रोजेक्ट केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	केरल	कोझिकोड
308	हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
309	बॉगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनटीपीसी)	असम	कोकराझार
310	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज -I-एमपीपीजीसीएल	मध्य प्रदेश	डोंगलिया
311	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	बिहार	मुजफ्फरपुर
312	वेलस्पन कैप्टिव पावर जनरेशन लिमिटेड	गुजरात	अंजार
313	रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन-दामोदर वैलीको	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर
314	वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड-ओल्ड वेलस्पन गुजरात स्टेशन रोहर्नएल	गुजरात	अंजार
315	कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड-बायोमास	राजस्थान	पदमपुर
316	प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज
317	सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड-पुराना नाम थर्मल पावरटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	नेलतुरु
318	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र	माहुल रोड
319	सूर्या चंबल पावर लिमिटेड	राजस्थान	लाडपुरा
320	येरमारस थर्मल पावर स्टेशन	कर्नाटक	बीजापुर
321	बराँनी थर्मल पावर स्टेशन	बिहार	बेगूसराय
322	झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	घनसोर
323	एनएलसी इंडिया लिमिटेड, थर्मल पावर स्टेशन II	तमिलनाडु	कुड्डालोर
324	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी_नाल्को (सीपीपी)	उड़ीसा	अंगुल
325	संजोग शुगर्स एंड इको पावर प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	संगरिया
326	हिरण्मय एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	कासबेरिया
327	ए2जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	पंजाब	नकोदर
328	बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात	कच्छ
329	महेंद्र पावर प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	चंपा
330	स्टार वायर (इंडिया) विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	हरियाणा	महेंद्रगढ़
331	एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड	मध्य प्रदेश	जैथारी
332	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड.	तेलंगाना	माचेरला
333	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड- वडापल्ली (55 मेगावाट सीपीपी)	तेलंगाना	नलगोंडा
334	रतनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	नासिक
335	अभिनव स्टील एंड पावर लिमिटेड.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
336	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, बीआरबीसीएल	बिहार	औरंगाबाद
337	मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	चंपा
338	मेसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	जांजगीर - चंपा
339	एसीसी सीमेंट लिमिटेड टिकरिया	उत्तर प्रदेश	अमेठी
340	एल्टेन पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	शिवगंगा
341	मेसर्स केमप्लास्ट लिमिटेड, कोयला विद्युत योजना	तमिलनाडु	मेट्टुर
342	सिंभावली पावर प्राइवेट लिमिटेड (पावर डिवीजन)	उत्तर प्रदेश	सिंभावली
343	जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड - पावर प्लांट (पहले: जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड_पावर प्लांट)	उत्तर प्रदेश	भारतीयगाम
344	आंध्र शुगर्स लिमिटेड (पावर डिवीजन)	आंध्र प्रदेश	सगगोंडा
345	अडानी पावर लिमिटेड, उडुपी (पूर्व में उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर, उडुपी)	कर्नाटक	उडुपी
346	छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	अमझर
347	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड (राष्ट्रीय ताप विद्युत	छत्तीसगढ़	भिलाई

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
	निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम) - विस्तार पीपी3		
348	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड.सीपीपी_II	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
349	चेंगलरायन सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र (18 मेगावाट)	तमिलनाडु	उल्लंदुरपेट्टई
350	वेल्लोर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड (को-जनरेशन प्लांट- 15 मेगावाट)	तमिलनाडु	कटपडी
351	मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन-II	तमिलनाडु	मेट्टूर
352	रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड (पावर डिवीजन)	पश्चिम बंगाल	खरगापुर
353	सारदा मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम
354	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड	केरल	पथलम
355	स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
356	मेसर्स बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस), (एनटीपीसी की एक इकाई) (पूर्व नाम बीएसपीजीसीएल-बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड - बीटीपीएस_यूनिट 8-9)	बिहार	पटना
357	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड .	उड़ीसा	संबलपुर
358	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
359	कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-VI (500 मेगावाट), केटीपीएस, VI फेज ,	तेलंगाना	खम्मम
360	कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन, फेज-VII (800 मेगावाट)	तेलंगाना	खम्मम
361	कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	तमिलनाडु	सथमंगलम
362	कावेरी पावर जनरेशन चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	बिलकुप्पम गाँव
363	भावनगर एनर्जी कंपनी लिमिटेड	गुजरात	भावनगर
364	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड - कैप्टिव पावर प्लांट	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
365	हिंदुस्तान जिक लिमिटेड, ज़ावर सीपीपी	राजस्थान	उदयपुर
366	आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- पावर डिवीजन (525 मेगावाट) [पहले आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड-पावर डिवीजन (525 मेगावाट) के नाम से जाना जाता था]	गुजरात	सूरत
367	शालिवाहन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (6 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट)	तेलंगाना	माचरला
368	गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भटिंडा	पंजाब	भटिंडा
369	बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (पावर डिवीजन बलरामपुर)	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
370	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट: सिद्धि सीमेंट वर्क्स (2x60 मेगावाट टीपीपी)	मध्य प्रदेश	सीधी
371	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	राजस्थान	बांसवाड़ा
372	जिंदल पाइप्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	हापुड़
373	श्री गिरिजा अलॉय एंड पावर (आई) प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	पेद्दापुरम
374	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट: बिरला व्हाइट)	राजस्थान	भोपालगढ़
375	पेरम्बलूर सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र (18 मेगावाट)	तमिलनाडु	एरैयूर
376	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पुदुचेरी	टीआर पट्टिनम
377	गाडरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश	गाडरवारा
378	नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
379	वायुनंदना पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	गडचिरोली
380	एसएम ईएनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बारां
381	ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बारां
382	उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड (पावर डिवीजन)	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
383	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2	छत्तीसगढ़	रसमदा
384	एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	रायगढ़
385	नबी नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	बिहार	औरंगाबाद
386	इंद्रजीत पावर प्राइवेट लिमिटेड (फेज I और II), (पूर्व में मेसर्स	महाराष्ट्र	वर्धा

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
	इंद्रजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)		
387	एसीसी लिमिटेड जामुल सीमेंट वर्क्स	छत्तीसगढ़	भिलाई
388	दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनटीपीसी लिमिटेड)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
389	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	रत्नागिरी
390	एसीसी लिमिटेड, कैप्टिव पावर प्लांट, मदुककराई	तमिलनाडु	कोयंबटूर
391	लकवा थर्मल पावर स्टेशन	असम	सोनारी
392	ट्रांसटेक ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	सांचोर
393	सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 2x660 मेगावाट_राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम	राजस्थान	सूरतगढ़
394	अडानी पावर लिमिटेड (पहले मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	छत्तीसगढ़	रायगढ़
395	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, डोंगलिया , स्टेज-II (2X660 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	खंडवा
396	त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	खतौली
397	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (बॉयलर प्लांट)	तमिलनाडु	कल्लाकुरिची
398	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सीपीपी-II, सेलम वर्क्स	तमिलनाडु	मेट्टूर
399	नेवेली नया थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु	कुड्डालोर
400	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड - पावर प्लांट	तेलंगाना	वडापल्ली
401	राणा पावर लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
402	एनटीपीसी खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मध्य प्रदेश	खरगोन
403	साई लीलागर पावर जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स अरसमेट्टा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	छत्तीसगढ़	जांजगीर - चांपा
404	बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड - 27 मेगावाट पावर प्लांट	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
405	जीएमडीसी	गुजरात	कच्छ
406	जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (गुंटूर) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
407	इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (120 मेगावाट)	उड़ीसा	चौदवार
408	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड_रावन	छत्तीसगढ़	रावण
409	बीएलए पावर प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	गाडरवारा
410	ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन (2X660 मेगावाट आईटीपीएस)	उड़ीसा	झारसुगुडा
411	मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	रायपुर
412	जिंदल पावर लिमिटेड (पूर्व में सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
413	मोंगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	गिरिडीह
414	1X660 मेगावाट हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट एक्सटेंशन II	उत्तर प्रदेश	कासिमपुर
415	लैंको कोंडापल्ली पावर प्लांट	आंध्र प्रदेश	इब्राहिमपत्तनम
416	एमवीके इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पहले मेसर्स केवीके बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	छत्तीसगढ़	जांजगीर
417	सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड	हरियाणा	कैथल
418	नायरा एनर्जी लिमिटेड (कैप्टिव पावर प्लांट) (पुराना नाम:- वडिनार पावर कंपनी लिमिटेड)	गुजरात	वाडिनार
419	गुजरात राज्य ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड	गुजरात	सूरत
420	नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	झारखंड	तांडवा
421	इंडियन बायो पावर लिमिटेड	राजस्थान	टोंक
422	अडानी पावर लिमिटेड	गुजरात	मुंद्रा
423	अडानी पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया
424	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पोस्ट जयगढ़ - तालुका और जिला - रत्नागिरी
425	श्री अंडाल पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड पावर डिवीजन	तमिलनाडु	सत्यमंगलम
426	एसईपीसी पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	थुथुकुडी
427	अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड	झारखंड	गोड्डा
428	तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनटीपीसी लिमिटेड)	तेलंगाना	रामगुंडम

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य	शहर
429	केपीसी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1X370 मेगावाट येलहंका कंबाईंड साइकिल पावर प्लांट	कर्नाटक	बैंगलोर नॉर्थ
430	एंटीनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	मोशी पिंपरी चिंचवड
431	काकतीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज - I	तेलंगाना	जयशंकर भूपलापल्ली
432	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, (कैप्टिव पावर प्लांट),	आंध्र प्रदेश	गादिवेमूला मंडल
433	त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	देवबंद
434	जगन्नाथ पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	उड़ीसा	ढेंकनाल
435	द हिंद समाचार लिमिटेड	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
436	श्री बजरंग केमिकल डिस्टिलरी एलएलपी	छत्तीसगढ़	आरंग
437	फतेहाबाद बायो एनर्जी एलएलपी	हरियाणा	भुना
438	जींद बायो एनर्जी एलएलपी	हरियाणा	पिल्लूखेड़ा
439	ग्रीनर्जी बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक	रानीबेन्नूर
440	प्रगति पावर स्टेशन 330 मेगावाट संयुक्त चक्र गैस टरबाइन	दिल्ली	दिल्ली
441	मादुर्गा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	उड़ीसा	बोड़नचुआ
442	नामरूप थर्मल पावर स्टेशन	असम	डिब्रूगढ़
443	छत्तरगढ़ अक्षय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बीकानेर
444	शिखर कमोडिटीज	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
445	राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन (यूनिट-3 और 4)	राजस्थान	रावतभाटा
446	राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन (यूनिट-2)	राजस्थान	बैंगू
447	जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (अहमदाबाद) लिमिटेड	गुजरात	अहमदाबाद
448	जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	जबलपुर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2703

दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय क्षमता

2703. श्री केसरीदेवसिंह झाला:

श्री हर्ष महाजन:

डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

श्री बृज लाल:

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

श्री सुभाष बराला:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री लहर सिंह सिरोया:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वह कौन-सा विशिष्ट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता लक्ष्य है जिसे भारत ने निर्धारित समय-सीमा से लगभग पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है;

(ख) वर्ष 2014 और दिसंबर 2025 के बीच कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी में किस प्रकार परिवर्तन आया है;

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा संक्रमण पहलों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष उपायों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार में अगला प्रमुख लक्ष्य सरकार द्वारा कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत ने जून, 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% हासिल करके अपने ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है जो पेरिस समझौते के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत निर्धारित लक्ष्य से पांच साल से अधिक पहले है। यह महत्वपूर्ण लक्ष्य जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.82 गीगावाट (दिनांक 30 जून, 2025 तक) में से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित क्षमता 242.78 गीगावाट थी, जो संस्थापित क्षमता का 50.08% है।

(ख) : कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की हिस्सेदारी 32.54% (दिनांक 31.03.2014 तक) से बढ़कर 51.93% (दिनांक 31.12.2026 तक) हो गई है और इसका विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने ऊर्जा परिवर्तन पहलों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार एक मजबूत आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली की दिशा में सुधारों को कार्यान्वित कर रही है और संस्थापित आरई क्षमता और इसके उपयोग की हिस्सेदारी बढ़ाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने जैसे कई उपाय किए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करने के लिए कई पहल की हैं। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए बोलियां जारी करने हेतु एक 'बोली ट्रजेक्टरी' जारी किया है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vi) तीव्र आरई ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) भारत सरकार ने सितंबर 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय

आवंटन के साथ 13.22 गीगावाट घंटे की बीईएसएस क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जून 2025 में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 30 गीगावाट बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए एक और वीजीएफ स्कीम को मंजूरी दी है।

- (x) आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, के गैर-अनुपालन पर शास्ति लगेगी। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- (xi) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- (xiii) 12,723.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और उनके वर्ष 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- (xiv) विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ग्रिड स्थिरता का समर्थन करने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट की 10 पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

इसके अलावा, न्यूक्लियर विद्युत में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है और वर्ष 2070 तक नेट जीरो की ओर भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह आधार भार विद्युत का एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। न्यूक्लियर विद्युत का कार्यावधि उत्सर्जन जलविद्युत और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के समान है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर विद्युत क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

दिनांक 31.03.2014 तथा 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता के हिस्से का विवरण:

जिस तिथि तक के अनुसार	कुल संस्थापित क्षमता (जीडब्ल्यू)	गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता (गौगावाट)	कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के निमित्त गैर-जीवाश्म क्षमता का % हिस्सा
31.03.2014	249.42	81.16	32.54%
31.12.2025	513.73	266.79	51.93%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2704
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन और मांग-आपूर्ति में अंतर

2704. श्री ए.डी. सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या व्यस्ततम समय के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति में कोई अंतर होता है; और

(ग) सरकार इस अंतर को कम करने और सभी क्षेत्रों को अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 'संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता' 5,20,511 मेगावाट है।

(ख) और (ग) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट है (जनवरी, 2026 तक)। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और देश को विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में बदल दिया है।

पिछले तीन वित्त वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए 'विद्युत आपूर्ति स्थिति' अनुबंध पर दी गई है। 'आपूर्ति ऊर्जा', 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

उच्चतम घंटों के दौरान अंतर को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

- (i) जलविद्युत आधारित उत्पादन को इस तरह से शेड्यूल किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल संरक्षण किया जा सके।
- (ii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट का नियोजित रखरखाव कम से कम किया जाता है।
- (iii) ईंधन की कमी को रोकने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

- (iv) सभी जेनको, जिनमें आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशन शामिल हैं, को योजनाबद्ध रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूरी उपलब्धता उत्पन्न करने और बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- (v) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण की सुविधा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
- (vi) उचित क्षमता वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी।
- (vii) विद्युत बाजार में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) को विद्युत एक्सचेंजों में जोड़कर सुधार किया गया है। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए डीईईपी पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) शुरू किया गया था।

इसके अलावा, सरकार ने सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद आयोजना भी शामिल है।
- (ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:
 - (क) वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहलें की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अर्वाइड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 67,280 मेगावाट सौर, 6500 मेगावाट पवन और 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 11,480 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण आयोजना:** अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि की समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस साल की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:**

(i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अर्वाइ होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।

(ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।

- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) तीव्र आरई ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।
- (x) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पावर की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	अनापूर्ति मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (फरवरी, 2026 तक)	15,59,936	15,59,482	454	0.0	2,45,444	2,45,416	28	0.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2705
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता

2705. श्री पी. पी. सुनीर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश के विकास के लिए, विशेषकर हमारी अपनी एआई क्षमताओं और अवसंरचना निर्माण के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी हाँ। देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट है (जनवरी, 2026 तक)। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और देश को विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में बदल दिया है।

सरकार ने देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद आयोजना भी शामिल है।
- (ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस

आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहलें की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवाइड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 67,280 मेगावाट सौर, 6500 मेगावाट पवन और 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 11,480 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. पारेषण आयोजना: अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि की समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस साल की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाइड होने वाली हाईड्रो पीएसपी

- परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
 - (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आईआईए) नियमित रूप से आई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।
 - (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
 - (v) तीव्र आई ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
 - (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
 - (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
 - (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
 - (ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।
 - (x) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
 - (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पावर की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।
 - (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2706
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ

2706. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं अथवा प्रस्तावित हैं;
- (ख) यदि हां, तो देश भर में वर्तमान में ऐसी कितनी परियोजनाएँ चल रही हैं; और
- (ग) स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के अपनाए जाने से क्या लाभ हुए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने देश भर में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/वितरण यूटिलिटियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से पहले पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी), एकीकृत विद्युत वितरण स्कीम (आईपीडीएस), राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) जैसी स्कीमों के तहत और वर्तमान में जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सहायता प्रदान की है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)/एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत 11 स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाएं और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत 2 स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गईं।

तदुपरांत, आरडीएसएस के तहत, 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर करने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य और 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के लिए स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। देश भर में विभिन्न स्कीमों के तहत अब तक 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त स्कीमों के तहत, 455 कस्बों के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) कार्यों को मंजूरी दी गई है।

स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को अपनाने से डिस्कॉम और उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभ अपेक्षित हैं:

- I. डिस्कॉम के लिए राजस्व संग्रह में वृद्धि तथा स्वचालित ऊर्जा लेखांकन।
- II. विद्युत आपूर्ति बाधाओं का वास्तविक समय में पता लगाना और रिकॉर्डिंग, उपकरण विफलता में कमी तथा दोष का शीघ्र पता लगाना और शीघ्र बहाली।
- III. सटीक बिलिंग और विद्युत खपत की निगरानी की सुविधा के कारण उपभोक्ता अनुभव में सुधार।
- IV. बेहतर लोड पूर्वानुमान के साथ-साथ ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2707
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

देश में बिजली की कमी

2707. डॉ. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिजली की सामान्य मांग और आपूर्ति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बिजली आपूर्ति की इकाई लागत और कीमत/राजस्व वसूली के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यनीति अपनाई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट है (जनवरी, 2026 तक)। भारत ने अप्रैल, 2014 से अब तक 296.388 गीगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत कमी की स्थिति से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुँच गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए 'विद्युत आपूर्ति की स्थिति' का विवरण अनुबंध पर है। 'ऊर्जा आपूर्ति' सामान्यतः 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है और इसमें केवल मामूली अंतर रहा है, जो प्रायः राज्यों के प्रेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण है।

(ग) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।

आरडीएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारत स्तर पर 12-15% के स्तर तक कम करना तथा औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच के अंतर को शून्य करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्कीम के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना/मौजूदा उपकेंद्रों का उन्नयन
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की स्थापना तथा मौजूदा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि
- पुराने कंडक्टरों को बदलना
- एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण
- कृषि फीडरों का पृथक्करण

इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटरिंग कार्य से वितरण यूटिलिटी की संग्रहण दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है तथा स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। स्कीम के अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर करते हुए प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य तथा 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों के लिए स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत 4.55 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और विभिन्न स्कीमों के तहत देशभर में कुल मिलाकर 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त इससे सरकारी सब्सिडी एवं सरकारी विभागों के बकायों के भुगतान में अनुशासन, टैरिफ आदेशों का नियमित निर्गमन, लेखों का समय पर प्रकाशन, नियामकीय परिसंपत्तियों का सृजन न होना आदि सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के क्रियान्वयन के साथ-साथ वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

- (i) राज्य सरकारों को जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.5% उधार लेने की अनुमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों को लागू करने की शर्त पर आधारित है।

- (ii) राज्य स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड, जो विद्युत वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन पर आधारित होंगे।
- (iii) ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के क्रियान्वयन हेतु नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतों को टैरिफ में समायोजित किया जा सके।
- (iv) सब्सिडी लेखांकन के उचित क्रियान्वयन तथा उनके समयबद्ध भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।
- (v) एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) और जेईआरसी (संयुक्त विद्युत नियामक आयोग) को समय पर टैरिफ और डू-अप आदेश जारी करने के लिए परामर्शिका जारी की गई है।
- (vi) विद्युत क्षेत्र की मूल्य ऋंखला में भुगतान अनुशासन में सुधार के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए, जिनके तहत दिनांक 03.06.2022 तक के लंबित बकायों का चरणबद्ध निपटान तथा वर्तमान देयों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम पर दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04 प्रतिशत हो गई है, जबकि आपूर्ति की राष्ट्रीय औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर 0.69 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वित्त वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		उच्चतम मांग	उच्चतम मांग पूरी हुई	मांग पूरी नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (फरवरी 2026 तक)	15,59,936	15,59,482	454	0.0	2,45,444	2,45,416	28	0.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2708
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्रिड में गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन का एकीकरण

2708. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2030 तक लक्षित 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा के बढ़ते हिस्से को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने के लिए सरकार की तैयारी क्या है;

(ख) कटौती के जोखिम के बिना आंतरायिकता, परिवर्तनशीलता और चरम मांग संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए की गई ग्रिड-तैयारी और स्थिरता आकलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रिड लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिसमें संचरण विस्तार, हरित ऊर्जा गलियारे, ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, स्मार्ट-ग्रिड प्रौद्योगिकियाँ, पूर्वानुमान और वास्तविक समय संतुलन तंत्र शामिल हैं; और

(घ) क्या विश्वसनीय 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त लचीले या बेसलोड आरक्षित क्षमता की योजना बनाई जा रही है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (ग) : नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े हिस्से को एकीकृत करने के लिए ग्रिड की तत्परता और स्थिरता का निरंतर मूल्यांकन लोड फ्लो अध्ययन, गतिशील स्थिरता अध्ययन और आकस्मिकता विश्लेषण सहित सिस्टम अध्ययनों के माध्यम से किया जाता है। ये अध्ययन ग्रिड पर नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता और चरम भार आवश्यकताओं के प्रभाव का आकलन करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु एकीकरण को सुनिश्चित करने, ग्रिड स्थिरता बनाए रखने, अनिश्चितता, परिवर्तनशीलता और चरम भार संतुलन को बिना बिजली कटौती के जोखिम के प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

- (i) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं से जुड़ी पारेषण योजनाओं को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- (ii) आरई क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अंतरराज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि में कमी आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आईएसटीएस आरई योजनाओं का अंतरराज्यीय नेटवर्क के साथ मजबूत अंतर्संबंध स्थापित किया जा रहा है।
- (iii) हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत अपने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने हेतु राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है। अंतःराज्यीय हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 10 राज्यों में लागू किया जा रहा है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण-I (जीईसी-I) के तहत 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन के लिए अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली पहले ही चालू हो चुकी है। लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरईएम) की निकासी के लिए जीईसी-II के अंतर्गत पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए और ग्रिड संचालकों को नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता के प्रबंधन में सहायता के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना।
- (v) अनिश्चितता को कम करने के लिए सौर-पवन संकर परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत के साथ संतुलित नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति जैसी नवीन परियोजनाएं शुरू की गईं।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम) का कार्यान्वयन।
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए तापीय/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और समय-निर्धारण में लचीलापन।
- (viii) ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक (सीईए) विनियम नवीकरणीय ऊर्जा (आरएमई) उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं ताकि ग्रिड का सुरक्षित, सुगम और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (आरएलडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से उक्त विनियमों के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का सुदृढ़ सत्यापन किया जाता है।
- (ix) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, आपात स्थिति में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की भागीदारी अनिवार्य है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) जैसे ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान कर रहा है। इस योजना के माध्यम से 43 गीगावाट क्षमता वाली बीईएस के विकास की परिकल्पना की गई है।

- (x) ग्रिड में स्थिर वोल्टेज स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रवाह को गतिशील रूप से समायोजित करने हेतु स्टेटिक वार कम्पेनसेटर्स (एसवीसी) स्टेटिक कम्पेनसेटर्स (स्टैटकॉम) और स्टेटिक वीएआर कंपेंसेटर (एसवीसी) तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आईएसटीएस प्रणाली में स्थैतिक वीएआर कंपेंसेटर (एसवीसी), स्टेटिक कम्पेनसेटर्स (स्टैटकॉम) और सिंक्रोस कंडेंसर (सिनकॉन) जैसे कई गतिशील क्षतिपूर्ति उपकरण नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- (xi) स्वचालित जनरेशन कंट्रोल (एजीसी) का उपयोग एजीसी-सक्षम विद्युत संयंत्रों को प्रत्येक चार (04) सेकंड में द्वितीयक आरक्षित सहायक सेवाओं (एसआरएस) के अप या डाउन सिग्नल भेजकर आवृत्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।
- (xii) रियल टाइम में मांग-आपूर्ति असंतुलन को दूर करने के लिए बाजार आधारित तृतीयक आरक्षित सहायक सेवाएं (टीआरएस)।
- (xiii) उच्च रैंप दर वाले जनरेटर (जैसे जलविद्युत या गैस) को भी लोड उत्पादन संतुलन बनाए रखने के लिए इष्टतम रूप से शेड्यूल किया जाता है।
- (xiv) नवीकरणीय ऊर्जा परिसर में वोल्टेज को वांछित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए रिएक्टरों की स्विचिंग की जाती है, ताकि ग्रिड का संचालन सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे।
- (xv) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के पास भारत में गीगा-स्केल एसीसी बैटरी भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक एक उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है, जिसका उद्देश्य ₹18,100 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 50 गीगावाट क्षमता का एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। 50 गीगावाट क्षमता में से 10 गीगावाट एमएनआई को ग्रिड-स्तरीय स्थिर भंडारण अनुप्रयोगों के लिए आवंटित किया गया है।
- (xvi) सीईए ने 07.07.2025 को सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि मौसम के सटीक, वास्तविक समय माप के लिए महत्वपूर्ण मौसम संबंधी मापदंडों को मापा जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित किया जा सके। इससे समग्र उत्पादन की पूर्वानुमान क्षमता, दक्षता में सुधार होगा, ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी और नियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा।

विद्युत की बढ़ती मांग के अनुरूप पारेषण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड-II पारेषण) अधिसूचित की। यह योजना 2023 से 2032 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है, जो अनुमानित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अनुमानित उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप है।

(घ) : वर्ष 2034-35 में विद्युत की अधिकतम मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 446 गीगावाट और 3215 बीयू तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमानित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए

देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता की योजना बनाई गई है। इस संबंध में, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि 31.03.2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कम से कम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कई पहलें पहले ही की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की तापीय क्षमताएं पहले ही चालू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,745 मेगावाट की तापीय क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के ठेके दिए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। साथ ही, देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित 24,020 मेगावाट की संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है और इसका निर्माण 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 67,280 मेगावाट सौर, 6,500 मेगावाट पवन और 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत शामिल है, निर्माणाधीन है, जबकि 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 35,440 मेगावाट सौर और 11,480 मेगावाट हाइब्रिड शामिल है, योजना के विभिन्न चरणों में है और इसका निर्माण 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को मंजूरी मिल चुकी है और इनका निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है। वर्तमान में, 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीएसई) निर्माणाधीन है और 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट-घंटे की बीईएसएस क्षमता निविदा प्रक्रिया के अधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2709
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम ऋण

2709. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिस्कॉम पर कुल संचित ऋण कितना है;

(ख) इस ऋण का राज्य-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2030 से ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कितना है;

(घ) औसत आपूर्ति लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के बीच कितना अंतर है; और

(ङ) अनुमानित राजसहायता निर्भरता कितनी है तथा राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत वितरण यूटिलिटी की 14वीं वार्षिक समेकित रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में वितरण यूटिलिटी पर कुल संचित ऋण 7,26,378 करोड़ रु. है। इसका राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 पर है।

(ग) : वर्ष 2020 से राज्य-वार ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) का विवरण अनुबंध-11 पर है।

(घ) : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच का राज्यवार अंतर अनुबंध-1 पर है।

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम को सब्सिडी सहायता प्रदान करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम को प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद यूटिलिटी के वार्षिक वित्तीय खातों से संकलित किया जाता है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत सब्सिडी तथा प्राप्त सब्सिडी का राज्य-वार विवरण अनुबंध-111 पर है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य-वार एसीएस-एआरआर अंतर और दिनांक 31.03.2025 को संचित ऋण

राज्य	एसीएस-एआरआर अंतर (₹./केडब्ल्यूएच)	कुल संचयी ऋण (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	0.11	7,11,402
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.22	एनए
आंध्र प्रदेश	(0.15)	77,583
अरुणाचल प्रदेश	0.00	एनए
असम	(0.26)	1,131
बिहार	(0.41)	14,002
छत्तीसगढ़	(0.19)	5,428
दिल्ली (एनडीएमसी)	(0.86)	एनए
गोवा	0.20	एनए
गुजरात	(0.40)	258
हरियाणा	0.10	20,311
हिमाचल प्रदेश	0.23	7,024
झारखंड	0.95	22,381
कर्नाटक	0.69	47,993
केरल	(0.17)	17,638
लद्दाख	(0.89)	एनए
मध्य प्रदेश	(0.04)	49,239
महाराष्ट्र	0.56	90,659
मणिपुर	(0.20)	745
मेघालय	0.13	1,474
मिज़ोरम	(0.34)	एनए
नागालैंड	(0.50)	एनए
पुद्दुचेरी	(0.64)	एनए
पंजाब	(0.30)	17,411
राजस्थान	(0.04)	98,488
सिक्किम	0.33	एनए
तमिलनाडु	(0.19)	1,01,782
तेलंगाना	0.27	59,230
त्रिपुरा	1.40	842
उत्तर प्रदेश	0.73	61,395
उत्तराखंड	0.06	1,729
पश्चिम बंगाल	(0.03)	14,658
निजी क्षेत्र	(0.65)	14,975
राष्ट्रीय	0.06	7,26,378

एनए: आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऋण जैसे तुलन-पत्र आंकड़े विद्युत पावर विभागों के लिए उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: विद्युत वितरण यूटिलिटी संबंधी 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट

राज्य-वार ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)

राज्य	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025तक
राज्य क्षेत्र	-0.11	-0.11	0.47	0.30	0.43	0.66
आंध्र प्रदेश	0.12	-0.67	0.01	0.22	-0.03	0.94
असम	0.13	0.32	1.02	-0.15	0.86	2.72
बिहार	-2.84	-1.48	-1.23	1.28	1.57	1.87
छत्तीसगढ़	0.45	-0.64	-0.02	0.82	1.30	4.60
गुजरात	4.05	9.21	7.72	6.17	16.00	12.63
हरियाणा	0.33	1.40	1.80	1.30	-0.19	-0.23
हिमाचल प्रदेश	1.10	1.08	0.91	-0.09	0.21	0.20
झारखंड	-0.81	-0.83	-0.36	-0.34	-0.42	0.34
कर्नाटक	-0.06	-0.31	1.63	0.45	0.61	0.39
केरल	0.42	0.64	0.90	0.67	0.47	1.17
मध्य प्रदेश	-0.07	-0.38	0.29	0.34	0.08	0.22
महाराष्ट्र	0.19	-0.20	0.76	-0.10	0.09	1.07
मणिपुर	-3.77	-2.52	8.06	0.33	3.64	-0.24
मेघालय	-2.09	-0.78	0.60	-0.09	-0.01	1.02
पंजाब	0.14	0.89	1.05	0.27	0.99	1.51
राजस्थान	-0.13	0.49	0.92	0.61	0.46	0.32
तमिलनाडु	-0.46	0.04	0.16	0.14	0.43	0.44
तेलंगाना	-2.39	-1.04	-0.89	-0.52	-0.62	-0.31
त्रिपुरा	-0.60	-0.87	-4.01	-5.46	-4.56	0.38
उत्तर प्रदेश	-0.81	-0.67	0.62	0.97	1.10	0.89
उत्तराखंड	-0.83	1.03	3.73	-1.09	0.95	1.07
पश्चिम बंगाल	0.12	-0.73	1.03	0.38	0.73	0.96
निजी क्षेत्र	1.00	1.52	1.46	1.39	2.05	2.86
राष्ट्रीय	-0.04	-0.02	0.51	0.34	0.47	0.71

स्रोत: विद्युत वितरण यूटिलिटी संबंधी 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक सब्सिडी का राज्य-वार विवरण (करोड़ रुपये में)

	बुक की गई टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी
राज्य क्षेत्र	2,37,260	2,34,751
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	790	790
आंध्र प्रदेश	16,681	15,527
असम	845	845
बिहार	15,405	15,422
छत्तीसगढ़	6,519	7,841
दिल्ली (एनडीएमसी)	14	14
गुजरात	9,277	9,277
हरियाणा	7,115	6,386
हिमाचल प्रदेश	1,650	943
झारखंड	3,521	3,727
कर्नाटक	27,725	30,434
केरल	382	382
मध्य प्रदेश	23,780	26,796
महाराष्ट्र	23,149	20,466
मणिपुर	246	267
मिज़ोरम	356	356
नागालैंड	543	543
पुदुचेरी	32	32
पंजाब	20,693	16,892
राजस्थान	30,597	29,846
सिक्किम	5	5
तमिलनाडु	15,701	15,772
तेलंगाना	11,157	11,157
त्रिपुरा	68	68
उत्तर प्रदेश	19,095	19,095
उत्तराखंड	47	0
पश्चिम बंगाल	1,868	1,869
निजी क्षेत्र	3,732	3,581
कुल योग	2,40,992	2,38,332

स्रोत: विद्युत वितरण यूटिलिटी संबंधी 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2710
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं पर कैग रिपोर्ट

2710. #श्री जावेद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) व प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजनाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है;

(ख) रिपोर्ट में उक्त योजनाओं की विफलताओं के लिए किन कारणों का उल्लेख किया गया है;

(ग) कैग द्वारा भविष्य में सुधार के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की विफलता के संबंध में कैग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने सभी घरों को विश्वसनीय विद्युत प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयासों को सहयोग देने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। राज्यों की सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल 2018 तक सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को विद्युत प्रदान कर दिया गया, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 18,374 गाँवों को और सौभाग्य अवधि के दौरान 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। दोनों स्कीमें 31.03.2022 को सफलतापूर्वक बंद कर दी गईं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य पर कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2025 की रिपोर्ट संख्या 17) प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन, स्कीमों का कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और निगरानी, तथा स्कीमों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सहित स्कीमों के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में परियोजनाओं में विलंब देखा गया है और इसके कारणों के रूप में भूमि अधिग्रहण और अनुमतियों से संबंधित मुद्दे, फील्ड सर्वे और परियोजना आयोजना में चुनौतियाँ, संसाधनों की उपलब्धता में बाधाएँ, तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन के दौरान सामना की गई अन्य प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ आदि नोट की गई हैं। भविष्य में सुधार के लिए सीएजी द्वारा किए गए सिफारिशों का विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

विद्युत मंत्रालय ने पहले की प्रमुख स्कीमों जैसे डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों को शामिल करते हुए अपने रणनीति को सक्रिय रूप से विकसित किया है। चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) में पहले ही सीएजी की सिफारिशों को शामिल किया गया है, जो 'सुधार आधारित और परिणाम-संबद्ध फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। आरडीएसएस का व्यापक फ्रेमवर्क **अनुबंध-II** पर संलग्न है। इसके अलावा, सुधार किए गए मानक और लेखापरीक्षा-आधारित अंतर्दृष्टियों को सभी भविष्य की स्कीमों में ध्यान में रखा जाएगा और उनमें एकीकृत किया जाएगा।

भविष्य में सुधार के लिए सीएजी द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण:

पैरा 3.1.2: कार्य स्वीकृति और कार्यान्वयन के दौरान बड़े अंतर से बचने के लिए कार्य का वास्तविक अनुमान लगाने हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पैरा 3.1.4: स्कीम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार डीपीआर तैयार करने से पहले फील्ड सर्वे किए जाने चाहिए, ताकि आयोजना प्रक्रिया में सुधार हो और कार्यान्वयन के दौरान विचलन कम से कम हो।

पैरा 3.2.2: परियोजनाओं के आबंटन और कार्यान्वयन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एमओपी द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आबंटन और कार्यान्वयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

पैरा 4.1: नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि धनराशि को स्वीकृत वित्त पोषण दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया जाए।

पैरा 5.1: गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी तंत्र (जैसे 100 प्रतिशत प्री-डिस्पैच निरीक्षण, टर्नकी संविदा के अनुसार सामग्री की खरीद, गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना आदि) को डिस्कॉम और आरईसी स्तर पर सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

पैरा 5.3: एमओपी यह सुनिश्चित करे कि स्कीमों के समय पर संस्वीकृति, निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) और निगरानी समिति (एमसी) की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएँ।

पैरा 6.2.1: एमओपी यह सुनिश्चित करे कि किसी स्कीम की शुरुआत से पहले संभावित लाभार्थियों के सटीक आंकड़े/जानकारी उपलब्ध हो और विस्तृत फील्ड सर्वे के आधार पर स्कीम के कुशल कार्यान्वयन के लिए निधि आवंटन की आयोजना विवेकपूर्ण ढंग से तैयार की जाए। डीपीआर का निर्माण भी विस्तृत फील्ड सर्वे के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पैरा 6.3.1.2: एमओपी एक ठोस तंत्र विकसित करे ताकि एक ही अवधि में लागू सभी स्कीमों के अंतर्गत घर-घर विद्युतीकरण के डेटा का नियमित मिलान किया जा सके और लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके, ताकि एक स्कीम के अंतर्गत किए गए कार्यों को अन्य समान स्कीमों के अंतर्गत दोबारा दावा न किया जा सके।

पैरा 7.1: विद्युत मंत्रालय/आरईसी लिमिटेड एक तंत्र विकसित करें ताकि अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से धनराशि केवल मूल्यांकन किए गए आवश्यकताओं के अनुसार ही उठाए जाएँ, और इसके लिए धनराशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाए।

पैरा 8.1 और 8.2: एमओपी यह सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर नियंत्रण और निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए, और आगामी स्कीमों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क का कड़ाई से पालन किया जाए।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) फ्रेमवर्क के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

- **प्रणाली सुदृढीकरण और फीडर पृथक्करण में अंतर का समाधान करना** : आरडीएसएस के अंतर्गत कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई योजनाओं और डीपीआर के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं, जिन्हें राज्य वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की सिफारिश के बाद मंजूरी दी जाती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। राज्य कैबिनेट अनुमोदन भी अनिवार्य है। डीपीआर मुख्य रूप से फीडर पृथक्करण और वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण आवश्यकता-आधारित तरीके सहित हानि न्यूनीकरण वाली अवसंरचना पर केंद्रित होते हैं।
- **व्यापक सुधारों से जुड़ी एटीएंडसी हानि न्यूनीकरण** : आरडीएसएस एटीएंडसी हानि में सतत कमी सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र हानि न्यूनीकरण वाला फ्रेमवर्क अपनाता है, जो नेटवर्क सुदृढीकरण के साथ बिलिंग/संग्रह और वित्तीय अनुशासन (सरकारी देयों/सब्सिडी का समय पर भुगतान, नियामक परिसंपत्तियों से बचाव आदि) सुधारने के उपायों को जोड़ता है।
- **वास्तविक/व्यवहारिक अनुमान से बड़े अंतर को कम करना**: आरडीएसएस कार्य अनुमान और घटक-वार कार्य वास्तविक और भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए स्वीकृति से पहले कार्रवाई योजनाओं /डीपीआर और तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से विस्तृत योजना सुनिश्चित करता है।
- **फील्ड सर्वे/लाभार्थी सत्यापन और उपभोक्ता अनुक्रमण** : घर/उपभोक्ता-स्तरीय हस्तक्षेपों के लिए लाभार्थियों का विवरण/सूची धनराशि जारी करने के लिए अनिवार्य है; उपभोक्ता अनुक्रमण आंकड़ों की सटीकता और भविष्य की योजना सुधारने के लिए किया जा रहा है।
- **समय पर अवार्ड/क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का मानकीकरण**: प्रमुख कार्य क्षेत्रों (जैसे हानि न्यूनीकरण कार्य, स्मार्ट मीटरिंग, स्काडा, पीएमए, एकीकृत बिलिंग प्रणाली आदि) के लिए व्यापक मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) तैयार किए गए हैं, ताकि समानता बनी रहे और देरी कम हो।
- **निधि जारी करने के नियंत्रण और पारदर्शिता को सुदृढ करना**: आरडीएसएस के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार निधि वार्षिक मूल्यांकन के बाद चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। एक टीएसए (ट्रेज़री सिंगल अकाउंट) तंत्र लागू किया गया है, जिसमें धनराशि आरबीआई के पास रहता है और उपयोग के लिए एंड टु एंड मैपिंग की जाती है, जिससे रियल टाइम में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **यूटिलिटी निगरानी में सुधार और स्कीम-वार विसंगतियों को कम करना**: परिभाषित अंतिम उपयोग ट्रेकिंग योजना-वार उपयोग की निगरानी में सुधार करती है।

- **गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करना (डिस्कॉम + तृतीय-पक्ष):** आरडीएसएस सुदृढ़ गुणवत्ता दिशानिर्देश, निर्धारित चरणों पर संरचित फील्ड निरीक्षण और समर्पित एजेंसियों के माध्यम से तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी शामिल करता है। अतिरिक्त गुणवत्ता सुरक्षा उपायों के रूप में साइट स्टोर से सामग्री की रैंडम सैंपलिंग/परीक्षण (निर्माता-स्तरीय जांच के अतिरिक्त) और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण शामिल हैं, ताकि विश्वसनीयता बढ़े और नकली सामग्री का उपयोग रोका जा सके। स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा फील्ड गुणवत्ता निरीक्षण भी अनिवार्य है।
- **शासन/निगरानी को सुदृढ़ करना:** आरडीएसएस के अंतर्गत अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं; वरिष्ठ स्तर पर भी समीक्षा की जाती है ताकि समय पर निर्णय लिए जा सकें और कड़ी निगरानी सुनिश्चित हो।
- **स्वीकृति/धन जारी करने से पहले जांच को सुदृढ़ करना:** आरडीएसएस एक सुधार-आधारित परिणाम-संबद्ध स्कीम है, और सिवाय 10% जीबीएस अग्रिम के स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना, इस पर निर्भर है कि डिस्कॉम/विद्युत विभाग किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए वार्षिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण हों और स्कीम के अंतर्गत वास्तविक भौतिक प्रगति के आधार पर हो। स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की मूल संरचना सुधारों से जुड़ी है, और अनुदान केवल उन्हीं वितरण यूटिलिटी को जारी किए जाते हैं, जो सुधार लागू करते हैं और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार इच्छित परिणाम प्राप्त करते हैं। तदनुसार, स्कीम के अंतर्गत निधियों का उपयोग स्कीम की सुधार-संबद्ध मूल संरचना के अनुरूप रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2711
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

गांवों का विद्युतीकरण

2711. श्री सी. वी. षनमुगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के गांवों और घरों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) सभी गांवों और घरों का कम से कम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों के प्रयासों को विभिन्न स्कीमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में, जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से सहायता की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद, गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत किया जा चुका था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, इच्छुक सभी घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। दोनों स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत, प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के घर, प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) के घर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत सुदूर और सीमा क्षेत्रों के घरों के लिए जहाँ यह व्यवहार्य पाया गया ग्रिड विद्युतिकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। आज तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13,65,139 घरों के ग्रिड विद्युतिकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत पीएम- जनमन और डीए-जेजीयू के अंतर्गत क्रमशः पीवीटीजी और जनजातीय घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतिकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घरों के विद्युतिकरण कार्यों का विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

चूंकि अधिकांश बचे हुए घर सुदूर, पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों में स्थित हैं, आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतिकरण के मानदंडों को शिथिल किया गया और विद्युतिकरण की लागत की सीमा बढ़ा दी गई। संशोधित मानदंडों के अनुसार, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतिकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यों के सुगम निष्पादन और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) : भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और तेजी लाने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. दिनांक 30 जून 2025 तक सौर और पवन विद्युत की कमीशन होने वाली परियोजनाओं के लिए, जून 2028 तक कमीशन होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए, हाइड्रो पीएसपी परियोजनाओं के लिए जिनका निर्माण कार्य जून 2028 तक आवंटित किया गया हो, दिसंबर 2030 तक कमीशन होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली सौर अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिद्री पर 100% अंतर-राज्यीय प्रेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ किया गया है (जो जून 2028 तक प्रति वर्ष 25% घटता रहेगा)।
- ii. ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोल प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- iii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद के लिए बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।
- iv. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 100 प्रतिशत तक अनुमति दी गई है।
- v. नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के निष्कासन के लिए नई पारेषण लाइनों को बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता के निर्माण के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत सहयोग किया गया है।
- vi. तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- vii. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा प्रदान करने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं स्थापित करने की स्कीम लागू की जा रही है।

- viii. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, नई सौर विद्युत स्कीम (जनजातीय और पीवीटीजी निवास/गाँवों के लिए) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- ix. भारत सरकार ने सितंबर 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम के अंतर्गत 13.22 गीगावाट घंटा की बीईएसएस क्षमता क्रियान्वयनाधीन है, जिसके लिए 3,760 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जून 2025 में 30 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए विद्युत प्रणाली विकास कोष (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग के साथ एक और वीजीएफ स्कीम को मंजूरी दी है।
- x. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) और इसके बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्टरी अधिसूचित की गयी है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू है, का पालन न करने पर शास्ति लगाई जाएगी। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपभोग की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- xi. “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति” जारी की गई है।
- xii. सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- xiii. 12,723.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ विभिन्न आयोजना चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- xiv. नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन और ग्रिड स्थिरता को सहायता देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने पम्पड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान में देश में कुल 10 पम्पड भंडारण परियोजनाएँ, जिनकी कुल क्षमता 11,870 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त घर				
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475	15,319
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
3	असम	785.55	706.99	1,27,111	16,748
4	बिहार	238.86	143.32	35,467	0
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078	9,084
6	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853	804
8	केरल	0.33	0.20	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196	21
10	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
12	मिज़ोरम	79.90	71.91	15,167	0
13	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	3,38,702	91,534
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	1,317
	कुल (क)	4,678.19	3,328.60	9,41,918	134,838
ख.	वायब्रेंट विलेज प्रोग्राम				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग	पीएम-जनमन				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	38.16	22.90	7,077	7,160
3	झारखंड	74.13	44.48	12,442	11,504
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	30,216	27,202
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8,603	7,053
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692

12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
	उप-योग (ग1)	521.59	331.57	1,27,987	1,21,383
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	5,203
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप-योग (ग2)	0	0	0	15,201
ग3	आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	मध्य प्रदेश	0	0	25	20
	उप-योग (ग3)	0	0	25	20
	कुल ((ग=ग1+ग2+ग3)	521.74	331.66	1,28,012	1,36,604
घ.	डीए-जेजीयूए				
घ1	आरडीएसएस के अंतर्गत				
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921	4,527
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938	1,579
3	बिहार	61.40	36.84	7,117	752
4	छत्तीसगढ़	218.44	131.06	39,579	15,456
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93	10
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	5,288	1,429
9	केरल	5.73	3.44	1,080	248
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	59,172	15,981
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842	492
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525	17,465
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677	6,678
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867	65
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207	157
	उप-योग (घ1)	1,247.50	790.52	2,83,558	70,067
घ2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	ओडिशा	0	0	0	0
	उप-योग (घ2)	0	0	0	0
घ3	आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182	129
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7	3
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650	100
7	राजस्थान	0.70	0.42	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672	0

9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512	0
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30	7
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19	3
	उप-योग (घ3)	18.63	11.92	4,203	251
घ4	राज्य योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	ओडिशा	0	0	0	0
	उप-योग (घ4)	0	0	0	0
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	1,266.13	802.44	2,87,761	70,318
ड.	पीएम-अजय				
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811	437
2	झारखंड	6.141	3.684	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012	361
	कुल (ड)	16.45	9.87	4,611	801
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड)	6,521.85	4,507.98	13,65,139	3,42,561

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2712
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

राज्य वितरण कंपनियों की देयताएं

2712. श्री अशोक सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगातार वित्तीय पुनर्गठन पैकेजों के बावजूद राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों की संचित देयताओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने आपूर्ति लागत तथा प्राप्त राजस्व के बीच वास्तविक राजसहायता अंतर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है, जिसमें राज्य राजसहायता भुगतान में देरी भी शामिल है;

(ग) क्या स्मार्ट मीटरिंग के विस्तार को एटीएंडसी हानियों में मापनीय कमी से जोड़ा गया है और क्या लक्ष्य पूरा न होने पर शास्तियों के प्रावधान मौजूदा हैं; और

(घ) क्या फीडर-स्तरीय आंकड़ों के अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ डिस्कॉम के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन मानक ढांचे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए विद्युत वितरण संबंधित विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित विद्युत वितरण यूटिलिटी की वार्षिक एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों की वार्षिक स्थिति बताई गई है, जिसमें यूटिलिटी के बकाया ऋण और राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी में अंतर शामिल हैं।

उपर्युक्त विद्युत वितरण यूटिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण और सब्सिडी का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
बकाया उधार	7,58,996	7,26,378
शुल्क सब्सिडी का बिल	2,10,710	2,40,992
शुल्क सब्सिडी प्राप्त	2,05,346	2,38,332

भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उनका समर्थन कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- i) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निधि का आवंटन राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जुड़ा है।
- ii) राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा दी गई है, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर आधारित है।
- iii) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन पर निर्भर हैं।
- iv) ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतों को शामिल किया जा सके।
- v) उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.87% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है। साथ ही, आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व (एसीएस-एआरआर) का राष्ट्रीय अंतर 0.63 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ग) : स्मार्ट मीटरों की संस्थापना चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों दोनों को लाभ पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने राज्य स्कीमों सहित विभिन्न अन्य स्कीमों के तहत स्मार्ट मीटर संस्थापित किए हैं। दिनांक 11.03.2026 तक, देश में विभिन्न स्कीमों के तहत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉम को सटीक ऊर्जा लेखांकन और ऑडिटिंग तथा प्रीपेड बिलिंग के माध्यम से अपने कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि को कम करने में मदद मिलती है।

बिहार और असम जैसे राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इसका प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ:

राज्य	स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 24
असम	78	23.39%	15.44%
बिहार	85	39.95%	15.51%

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि दोनों राज्यों ने प्रचालनात्मक और वित्तीय दोनों मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अंतर्गत धनराशि का निर्गमन प्रमुख प्रचालनात्मक और वित्तीय मापदंडों पर यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है, जिसमें एटीएंडसी हानि में कमी शामिल है।

(घ) : वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक और वित्तीय मापदंड जैसे एटीएंडसी हानि, कर पश्चात् लाभ (पीएटी) आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच का अंतर आदि की गणना वार्षिक रूप से वितरण यूटिलिटी स्तर पर उनके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय खातों के आधार पर की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2713
दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

जम्मू और कश्मीर में विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करना

2713. श्री सत पाल शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीतकालीन महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बार-बार होने वाली विद्युत कटौती के कारणों की पहचान की है;

(ख) विद्युत कटौती को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युत कटौती मुख्य रूप से पारेषण और वितरण स्तर पर प्रणालीगत बाधाओं के कारण होती है, साथ ही बिना मीटर वाले क्षेत्रों में असीमित ऊर्जा खपत भी इसका एक कारण है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, के प्रयासों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से सहायता की है। ये स्कीमें 31.03.2022 को बंद हो गईं। इन स्कीमों के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2,909 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं। इसके अलावा, भारत सरकार ने नवंबर 2016 में पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर (जिसमें लद्दाख भी शामिल है) के वितरण प्रणाली की अवसंरचना को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री

विकास पैकेज (पीएमडीपी) को मंजूरी दी थी, जिसमें राजधानी शहरों, पर्यटन स्थलों और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों को शामिल किया गया। पीएमडीपी के अंतर्गत 2,780 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। उपर्युक्त स्कीमों और परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख क्रियान्वित कार्यों में सब-स्टेशन का निर्माण और सुदृढीकरण, वितरण ट्रांसफॉर्मर, हाई टेंशन (एचटी) लाइनें, लो टेंशन (एलटी) लाइनें, फीडर पृथक्करण आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।

आरडीएसएस के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,034 करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण कार्य और 1,064 करोड़ रुपये मूल्य के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्यों में नए सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) का निर्माण और मौजूदा का उन्नयन, एचटी और एलटी लाइनें, कृषि फीडर पृथक्करण, घर-घर विद्युत आपूर्ति आदि शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय प्रत्येक वर्ष सर्दियों के माह में जम्मू और कश्मीर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से अतिरिक्त विद्युत आवंटित करता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 की सर्दियों में, विद्युत मंत्रालय ने सीजीएस से निम्नलिखित अतिरिक्त विद्युत आवंटित की थी:

- (i) पतरातु ताप विद्युत संयंत्र (यूनिट#1) से 120 मेगावाट अनाबंटित विद्युत, दिनांक 05.11.2025 (व्यावसायिक प्रचालन तिथि) से दिनांक 28.02.2026 तक विशेष आवंटन के रूप में।
- (ii) एनटीपीसी कहलगांव सुपर ताप विद्युत स्टेशन (चरण-I) से दिनांक 01.10.2025 से 28.02.2026 तक 292.99 मेगावाट विद्युत।
